मध्यप्रदेश की

प्रस्तावित पशुधन नीति (2007)

हेतु समूदाय की

अनुशंसाएं

प्रस्तावक

सम्पर्क म. .प्र..

सम्पर्क ग्राम परिसर पो. रायपुरिया

457775 जिला–झाबुआ

मेल : **smp_mp@yahoo.com**

:: <u>सहयोगी संस्थाएं</u> ::

LAN, वाल्मी भोपाल, सी.आई.डी. ग्वालियर, आईडीवायडब्ल्यूसी छिंदवाड़ा, निवसीड जबलपुर,

AKRSP खंडवा, सोपान सिवनी, ग्रामसुधार समिति सीधी, विकास संवाद भोपाल, मध्यांचल फोरम भोपाल,

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि
2. पशुधन नीति की भावना
3. प्रस्तावना
4. मध्यप्रदेश में पशु धन विकास
4.1 पशुधन विकास का महत्व
4.2 पशुधन के मुख्य उत्पादन
5. मध्यप्रदेश में पशुधन विकास से सन्बन्धित नीतियों के मौजूदा प्रावधान
5.1 राजस्व नीति
5.1.1 राजस्व नीति में पशुधन विकास के लिए भूमि उपयोग का प्रावधान
5.1.2 राजस्व नीति के वर्तमान प्रावधानों का पशुधन विकास पर प्रभाव
5.1.3 राजस्व नीति में पशुधन विकास के लिए मौजूद अवसर
5.2 वन नीति
5.2.1 प्रदेश की वन नीति में पशुधन विकास के लिए प्रावधान
5.2.2 प्रदेश की वन नीति के वर्तमान प्रावधानों का पशुधन विकास पर प्रभाव
5.2.3 प्रदेश की वन नीति में चारा उत्पादन के लिए उपलब्ध अवसर
5.3 कृषि नीति
5.3.1 कृषि नीति में पशुधन विकास के लिए प्रावधान
5.3.2 राष्ट्रीय कृषि नीति और पशुधन विकास के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव
5.3.3 राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में उपलब्ध अवसर
5.4 जल नीति
5.4.1 प्रादेशिक जल नीति में पशुधन विकास के लिए प्रावधान
5.4.2 प्रादेशिक जल नीति में पशुधन विकास के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव
5.4.3 प्रादेशिक जल नीति में उपलब्ध अवसर
5.5 पर्यावरण नीति
5.5.1 पर्यावरण नीति में पशुधन विकास के लिए प्रावधान
5.5.2 पर्यावरण नीति और पशुधन विकास के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव
5.5.3 पर्यावरण नीति में उपलब्ध अवसर
5.6 पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति
5.6.1 पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति में पशुधन विकास के लिए प्रावधान
5.6.2 राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति के प्रावधानों का प्रभाव
5.6. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति में उपलब्ध अवसर
5.7 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
5.7.1 नगरीय इलाकों में कामों के लिए व्यवस्था
5.7.2 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और पशुधन विकास के लिए उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव

5.7.3 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में उपलब्ध अवसर

6. रणनीति

7. अनुलग्न – 1

8. अनुलग्न – 2

अनुलग्न – 1

मध्यप्रदेश में पशुधन

गाय, बैल और उनकी नस्लें
भैस, पाडा और उनकी प्रजातियाँ
बकरी बकरा और उनकी प्रजातियाँ
भेड और उनकी प्रजातियाँ
सूकर और उनकी प्रजातियाँ
मुर्गी और उसकी प्रजातियाँ
गधा और उसकी प्रजातियाँ
घोडा, टट्टू और खच्चर तथा उनकी प्रजातियाँ
घोडा
खच्चर
टट्टू और उसकी प्रजातियाँ
ऊंट और उसकी प्रजातियाँ
कुत्ते और उनकी नस्लें
खरगोश या शशक

अनुलग्न – 2

मध्यप्रदेश में लागू योजनायें

विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम
विनिमय के आधार पर बकरों का प्रदाय
विनिमय के आधार पर सूकरों का प्रदाय
विनिमय के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदाय
मुंहखुरी टीकाकरण हेतु टीकाद्रव के लिये अनुदान
गो सेवक योजना
ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन
उत्पादक पशुओं के लिये चारा विकास योजना
पन्द्रह दिवसीय 110 चूजों की बटेर पालन योजना
मुक्त परिसर प्रणाली में कुक्कुट इकाई का वितरण
कॉकरेल योजना
पशु प्रदर्शनी
गहन पशु विकास परियोजना / मुख्य ग्राम खंडों की निरन्तरता
सूकर पालन योजना
नन्दी शाला योजना
सहकारी डेयरी कार्यक्रम
एकीकृत डेयरी विकास परियोजना
तकनीकी आदान सेवायें
एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन
महिला डेयरी परियोजना

समीक्षा

बीमारियां और उपचार कार्यक्रम

विभागीय ढांचा

अ. पशु चिकित्सा के लिये व्यवस्था
ब. पशु चिकित्सा अनुसन्धान के लिये व्यवस्था
स. पशु चिकित्सा के लिये शैक्षणिक व्यवस्था

1. पृष्ठभूमि

पशुधन भारत के किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण परम्परागत स्रोत है। गरीबी कम करने में पशुधन का जो योगदान है उसे अब अच्छी तरह समझा जाने लगा है, खासकर अर्द्धशुष्क और शुष्क इलाकों में जहां खेती सीमित होती है। वहां पशुधन आजीविका का खास साधन होता है।

भारत में दुनिया के पशुधन का पांचवा हिस्सा है। भारत की करीब 45 करोड़ छोटी–बड़ी मवेशियां हरे चारे के सीमित क्षेत्र पर निर्भर है। देश में बहुत ज्यादा मवेशियां होने के कारण उपलब्ध जमीन पर उनका दबाव बढ़ गया है। किसान अपनी मवेशियां चराने के लिए मुख्यतः सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही चरागाह के इलाके खेतों में बदलते जा रहे है और इससे चरागाह का क्षेत्र तेजी से कम होते जा रहा है।

जनसंख्या और मवेशियों की आबादी बढ़ने के कारण और कुछ गैर टिकाऊ तरीके अपनाये जाने के कारण प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर सार्वजनिक संसाधनों में तेजी से कमी आई है और इससे गरीब सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों, खासकर महिलाओं पर गंभीर असर पडा है, क्योंकि वे सदियों से अपनी मवेशियों और अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर रहते है।

इस समस्या के निदान के लिए LEAD (Livestock Environment and Development) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाओं का नेटवर्क बना है, जिसकी भारतीय शाखा का नाम LAN (Lead Advocacy Network) है। LAN एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। फिलहाल यह छः राज्यों में सक्रिय है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में ''सम्पर्क संस्था'' LAN के सदस्य के रूप में सक्रिय है। सम्पर्क संस्था विगत 20 वर्षो से झाबुआ जिले में आजीविका के विकल्पों पर कार्य कर रही है। गत वर्ष 'सम्पर्क'' द्वारा मध्यप्रदेश में पशुधन की स्थिति को समझने के लिए महाकोशल, चम्बल, मालवा व निमाड़ आदि क्षेत्रों में पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें पशुपालक, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी, अनुसंधानकर्ता एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके पश्चात् राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन एवं मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्था (WALMI) के साथ मिलकर भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इन सभी कार्यशालाओं के दौरान करीब पांचसौ लोगों के साथ अलग–अलग स्तर पर पशुधन के मुद्दे पर गहरी विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवसर मिला। जिसके परिणाम स्वरूप यह मुद्दा उभरकर आया कि पशुधन लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, एवं इसके विकास की अपार संभावना भी है। लेकिन इतने बड़े स्रोत पर चुनौतिया भी बहुत ज्यादा है। ये चुनौतिया समुदाय के स्तर पर भी है एवं शासन के स्तर पर भी है। शासन के स्तर पर इस दिशा में पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में पशुधन से संबंधित समस्याओं, पशुधन के विकास की सम्भावनाओं और आय के वेकल्पिक साधन के रूप में पशुधन से जुडे मुद्दों को नीतिगत स्तर पर पर्याप्त महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में अभी तक पुशधन के समग्र विकास के लिए कोई नीति ही नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व नीति, जल नीति, वन नीति, कृषि नीति, पर्यावरण नीति एवं पूनर्वास नीति में पशुधन के विकास की संभावनाओं की ज्यादा चुनौतियां मौजूद है। ऐसी स्थिति में हमारे राज्य में ऐसी समुचित पशुधन नीति होना बहुत आवश्यक है, जिसमें पशुधन विकास की ज्यादा सम्भावना हो। चूंकि पशुधन गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एवं राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः पशुधन के विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

प्रदेश में पशुधन विकास के मौजूदा कार्यक्रमों के स्तर पर भी पुशपालन विभाग के अलावा ग्रामीण विभाग, कृषि विभाग, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन एवं नाबार्ड आदि संस्थाएं पशुधन विकास में सक्रिय है। शासन के आला अफसर से लेकर ग्राम स्तरीय कर्मचारी भी यह महसूस कर रहे हैं कि इन समस्त विभागों में आपसी समन्वय होना चाहिये।

मध्यप्रदेश भोगोलिक दृष्टि से छः एग्रोक्लायमेटिक झोन मे बंटा है। हर जोन की अपनी भौगोलिक और सामाजिक संरचना है। पशुधन कार्यक्रमों के विस्तार में भी इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, महाकौशल में लोग सुअर पालन के लिए तैयार है, लेकिन निमाड़ या चम्बल क्षेत्र में इसमे सामाजिक बाधा है। इसी प्रकार चम्बल क्षेत्र में सरसों की अधिकता के कारण मधुमक्खी पालन की अच्छी सम्भावना है लेकिन धार, झाबुआ व रतलाम जिलों में कडकनाथ कुटकुट पालन के लिए और बटेर पालन के लिए एकदम उपयुक्त वातावरण है। पशुधन नीति में पूरे प्रदेश में क्षेत्र विशेष की भौगोलिक व पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल पशुधन को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त योजना बनाने से और इन योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करने से पशुधन नीति फलदायी होगी।

प्रदेश में पशु चिकित्सा की चिन्ताजनक स्थिति ने भी पशुधन की उपयोगिता को सीमित किया है। शासकिय चिकित्सातंत्र पशुओं की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। जो चिकित्सा कर्मी उपलब्ध है वे भी सुदुर

ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर पशुधन की चिकित्सा करने प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। शासन द्वारा प्रत्येक गांव में ''गौ सेवक'' योजना प्रारंभ अवश्य की है, लेकिन प्रशिक्षण के पश्चात् इन लोगों को किसी भी प्रकार **की मान्यता** न दिये जाने के कारण यह तंत्र प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में, गांव में परम्परागत दवाओं के जानकार हैं, जो पशु चिकित्सा को बहुत कुशलता पूर्वक जानते है, लेकिन शासकीय मान्यता नहीं मिलने के कारण इनके विस्तार में बाधा हो रही है। यदि इन्हें प्रोत्साहित किया जाय तो ये पारम्पारिक जानकार पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हो सकते है। सम्पर्क संस्था ने झाबुआ जिले में ऐसे पारम्परिक जानकारों को प्रशिक्षण देकर इन्हे चिकित्सा किट प्रदान किये है, जो पशु चिकित्सा के लिये उपयोगी साबित हो रहे है। संस्था के इस प्रयोग को विस्तारित किया जा सकता है तथा पशु चिकित्सा के इनके ज्ञान का उपयोग प्रदेश के पशुधन को स्वस्थ व लाभकारी बनाने में किया जा सकता है।

पशुधन विकास के लिए प्रदेश में पशु नस्ल सुधार के नाम पर बडे स्तर पर विदेशी नस्लों का प्रयोग हुआ है। बावजुद इसके इसकी सफलता बहुत सीमित रही है। अतः देशी नस्लों के संवर्धन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीबों की आजीविका के मुख्य साधन पशुधन पर सामुदायिक नियंत्रण को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार ऐसे अनेक मुद्दे है जिनके कारण हमारे राज्य में पशुधन की नीति होने की आवश्यकता है। इस दिशा में सम्पर्क संस्था ने LAN के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। नीति निर्माण हेतु समुदाय की अनुशंसा का यह दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में जहां राष्ट्रीय स्तर पर LAN के साथी WOTR महाराष्ट्र, CEE गुजरात, सेवा मंदिर राजस्थान, SAMUHA कर्नाटक, WASSN आंध्रप्रदेश की प्रेरणा स्पद भूमिका रही है, वहीं मध्यप्रदेश स्तर पर CID ग्वालियर, IDYWC छिंदवाड़ा, NIWCYD जबलपुर, AKRSP खण्डवा, सोपान सिवनी, ग्राम सुधार समिति सीधी, विकास संवाद भोपाल व मध्यांचल फोरम भोपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन एवं WALMI ने राज्य स्तर पर कार्यशाला के आयोजन करके इस मुद्दे की अहमियत को उजागर किया है। इस कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री वसीम अक्तर एवं पशु पालन विभाग के डॉ. राजेश राजोरा, ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना के संचालक श्री अहलावद, जल ग्रहण क्षेत्र के संचालक श्री सचिन सिन्हा, श्री सी. वी. देषपाण्डे (अतिरिक्त संचालक वाल्मी), डॉ. राजेष पुराणिक, संदीप नाईक एवं संजीव जैन आदि अनेक लोगों के महत्वपूर्ण सुझावों ने इस नीति अनुशंसा प्रपत्र के महत्व को बढ़ाया हैं। मध्यप्रदेंश राज्य की इस प्रस्तावित पशुधन नीति हेतु अनुशंसाओं का दस्तावेज तैयार करने में वन नीति, पर्यावरण नीति, जल नीति आदि नीतियों से पशुधन नीति के अंतर्संबंधों के विश्लेषण हेतु जो समिति बनाई गई थी उसमें डॉ. एस. जी.कुलकर्णी (सेवानिवृत महाप्रबंधक पशुधन विकास) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री के. जी. व्यास (पूर्व सलाहकार राजीव गांधी वाटर शेड मिशन म.प्र.), डॉ. सुरेश मिश्र (नेचुरलिस्ट एवं सेवा निवृत प्राध्यापक), श्री सचिनकुमार जैन (सामाजिक कार्यकर्ता), श्री हरीश पंवार (पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता), श्री उमेष वषिष्ठ शामिल थे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्त में प्रदेश के समस्त ग्रामीण समुदाय पशुपालकों को हार्दिक धन्यवाद जिनके सहयोग के बिना यह दस्तावेज अन्तिम रूप नहीं ले पाता है। शासन से अपेक्षा है कि इस अनुशंसाओं को प्रदेश की पशुधन नीति निर्माण की प्रक्रिया में स्थान दे, ताकि मध्यप्रदेश पशुधन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

धन्यवाद!

निलेश देसाई

निदेशक, सम्पर्क, म.प्र.

2. पशुधन नीति की भावना

किसी भी नीति के लिये कभी भी सर्वकालिक दस्तावेज नही बनाया जा सकता। यह हकीकत पशुधन नीति पर भी लागू है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यह नीति प्रस्तावित की जा रही है जो अगले 20 सालों के दृष्टिबोध पर आधारित है। 20 साल बाद या आवश्यकता होने पर इस नीति की समीक्षा की जावे और उस समय की जरूरतों एवं दृष्टिबोध के अनुसार नीति को परिवर्तित/परिमार्जित किया जावे। अगले 20 साल के दृष्टिबोध के आधार पर मध्यप्रदेश में पशु एवं पक्षी धन का विकास अद्यतन तकनीकों एव अनुसन्धानों पर आधारित होना चाहिये ताकि पशु–पक्षी धन के संरक्षण के साथ–साथ आम आदमी को दूध और उसके उत्पाद, अंडे, मीट, ऊन, चमड़ा इत्यादि उपयुक्त रेट पर पर्याप्त मात्रा में सतत उपलब्ध होना चाहिये। इसके साथ–साथ, प्रदेश की प्रस्तावित पशुधन नीति का मानवीय चेहरा होना आवश्यक होगा, अर्थात पशुधन नीति और नीति–आधारित विकास ऐसा हो कि जिससे अन्य वर्गों के साथ–साथ मुख्यतः गरीब और समाज के उपेक्षित वर्ग के हितों की रक्षा हो और उनकी आर्थिक स्थिति में टिकाऊ सुधार हो सके। सरकार पशुधन, पर्यावरण और मानव समाज के सर्वांगीण विकास के सह–अस्तित्व को सर्वोच्च मान्यता देते हुए पशु एवं पक्षी धन विकास के दायित्व का निर्वहन करेगी और इन बिन्दुओं को ध्यान में रख नीति को अंतिम रुप देते हुए लागू करेगी।

3. प्रस्तावना

पशुधन की दृष्टि से, मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य है। इस राज्य में मुख्यतः गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, भेड, सुअर, ऊंट, गधा, घोडा, टट्टू, खच्चर, मुर्गी, कुत्ता और खरगोश पाये जाते हैं। राज्य में सम्पन्न 17 वीं पशु संगणना 2003 के अनुसार सकल पशुधन 3,56,16,999 है जो भारत के कुल पशुधन (4850 लाख) का 7.34 प्रतिशत है। इसी संगणना के अनुसार प्रदेश में 15,22,848 कुत्ते, 13,919 खरगोश और 1,17,04,725 मुर्गे (कुक्कुट) भी हैं। अनुलग्न 1 में प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों का संक्षिप्त विवरण संलग्न किया गया है।

16 वीं तथा 17 वीं पशु संगणना के अनुसार विभिन्न पशुओं की संख्या एवं पिछली संगणना (1997) के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन (प्रतिशत कमी या वृद्धि) निम्नानुसार है –

<u>तालिका 1</u>

क.	विवरण	पशु संगणना 2003	पशु संगणना 1997	प्रतिशत कमी या वृद्धि
01	गो वंशीय पशु	1,89,12,611	1,94,96,874	03.00 प्रतिशत कमी
02	भैंस वंशीय पशु	75,75,299	66,48,255	**14 प्रतिशत वृद्धि**
03	बकरी, बकरा,	81,41,983	64,70,046	**25.80 प्रतिशत वृद्धि**
04	भेड़ी भेड़	5,46,366	6,56,732	16.00 प्रतिशत कमी
05	सुअर	3,58,085	3,75,000	04.50 प्रतिशत कमी
06	ऊंट,	8,161	10,035	18.70 प्रतिशत कमी
07	गधा,	38,714	49,289	21.40 प्रतिशत कमी
08	घोड़ा, घोड़ी एवं टट्टू	31,613	54,581	42.10 प्रतिशत कमी
09	मुर्गी,मुर्गा	1,17,04,725	72,61221	**61.20 प्रतिशत वृद्धि**
10	कुत्ता	15,22848	11,21,247	**35.80 प्रतिशत वृद्धि**
11	खरगोश	13,919	5,693	**144.50 प्रतिशत वृद्धि**
12	खच्चर,	4,167	6,532	36.20 प्रतिशत कमी

स्रोत 16 वीं एवं 17 वीं पशु संगणना

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में, पिछले 06 वर्षों में–

- भैंस वंशीय पशुओं, बकरी बकरों, मुर्गी, कुत्ता और खरगोशों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।
- गो वंशीय पशुओं, भेड, सुअर, ऊंट, गधा, घोड़ा, टट्टू और खच्चरों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है।

पशुधन की उपरोक्त अवलोकित वृद्धि या गिरावट को पशुधन विकास की प्रवृत्ति तथा जमीनी हकीकत यथा समाज की रुचि, और पशुधन की उपादेयता से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिये खेतों की जुताई और परिवहन में ट्रेक्टर के बढ़ते उपयोग और कुओं से पानी

निकालने में पम्पों के बढ़ते प्रचलन के कारण, उपरोक्त कामों में, बैलों एवं पाड़ों का उपयोग धीरे–धीरे घट रहा है। इसी तरह भेड़, सुअर, ऊंट, गधे, घोड़े, टट्टू और खच्चरों की संख्या की गिरावट इसलिये हो रही है कि उनके बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि गो एवं भैंस वंशीय पशुओं की आबादी (लगभग 2 करोड 64 लाख) की दृष्टि से देश में मध्यप्रदेश का स्थान पहला है पर दूध उत्पादन में इसका स्थान सातवां है। नेशनल डेयरी डेव्लपमेंट बोर्ड के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2005–06 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 262 ग्राम प्रति दिन थी जो देश की इसी अवधि की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता से 21 ग्राम अधिक है। मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहाँ चरनोई की जमीन और चारा उपलब्ध है, खेती और पशुपालन एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक हैं और इन इलाकों में पशुपालन का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। मध्यप्रदेश की सकल आय में इस सेक्टर का योगदान लगभग 6 प्रतिशत है।

जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में कास्त उपयोगी कुल पड़त भूमि लगभग 1,175 हजार वर्ग हैक्टर (3.81 प्रतिशत), कुल पड़त भूमि 1192 हजार वर्ग हैक्टर (3.87 प्रतिशत) और वनों के अन्तर्गत 8585 हजार हैक्टर (27.87 प्रतिशत) भूमि मौजूद है। निजी जमीन का वह रकबा जिस पर पशु आहार (चरी और हरी घास इत्यादि) को पैदा किया जा रहा है, आवश्यकता की तुलना में कम है और अनेक इलाकों में यह रकबा लगातार घट रहा है। यह प्रवृत्ति सिंचित कमान क्षेत्रों यथा बारना कमान्ड, (रायसेन) में देखी गई है।

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश का सकल भौगोलिक क्षेत्रफल 308 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 60,348 हजार तथा दस वर्षीय (1991–2001) जन संख्या वृद्धि दर 24.3 है। प्रदेश की सकल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 15.17 तथा 20.27 है। राज्य में आबादी का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 196 है तथा लगभग 26.46 प्रतिशत आबादी नगरों में तथा 73.54 आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। ग्रामीण पत्रकों के अनुसार औसत कृषि जोत 2.2 हैक्टर है। ग्रामीण इलाके की आबादी में कास्तकारों की आबादी 42.79 प्रतिशत, खेतिहर मजदूरों की आबादी 28.69 प्रतिशत है, शेष आबादी पारिवारिक उद्योगों (4.00 प्रतिशत) तथा गैर–कार्यशील कार्यों (24.51 प्रतिशत) में संलग्न है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अधिकांश आबादी (लगभग 45000 हजार) परम्परा से, पशु पालन को खेती के साथ साथ अपनाती रही है। मशीनीकरण के बावजूद, आज भी लाखों परिवारों के लिये यह काम आय का साधन है तथा दूध और उसके सहउत्पादों तथा मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को उनकी अतिरक्त आय का टिकाऊ जरिया बनाया जा सकता है। इसके अलावा गोबर का सही उपयोग एवं रणनीति बनाकर गरीबों के लिये अतिरिक्त आय सुलभ कराई जा सकती है और देशी खाद, रसोई गैस तथा वैकल्पिक ऊर्जा (अनुलग्न 3) पैदा की जा सकती है।

नीतिगत वक्तव्य –1

मध्यप्रदेश में पशुधन विकास एवं उसपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर समाज के लाभ एवं आर्थिक विकास के लिये उपयुक्त पशुधन नीति बनाये जाने, सरकार द्वारा उसे अंगीकृत करने और उसके दृष्टिबोध के अनुसार कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

4. मध्य प्रदेश में पशु धन विकास

4.1. पशु धन विकास का महत्व

मौटे तौर पर, पशु धन विकास का सीधा सम्बन्ध, पशुओं से मिलने वाले संभावित आर्थिक लाभों तथा पशुओं की समाज के लिये सेवा एव उत्पाद देने क्षमता और सस्ते लालन–पालन तथा परम्परागत लगाव के कारण है। परम्परा से, ग्रामीण इलाकों में यह कार्य, कृषि उत्पादन वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार तथा कृषि कार्यों (operations) में सहयोगी है। नगरीय इलाकों में पशु धन का महत्व, संभवतः पशु आधारित उत्पादों की पूर्ति की क्षमता के कारण होता है पर इसका भविष्य, समाज के लिये इसके टिकाऊ योगदान की मात्रा से नियंत्रित होगा। इसका समुचित विकास उपयुक्त कार्यक्रमों, सही दिशा बोध, सही नीतियों, पशु जीवन को आधार प्रदान करने वाली सुविधाओं, मांग आधारित पूर्ति एवं तंत्र की सेवा प्रदाय क्षमता इत्यादि पर भी निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त पशु धन के विकास का भविष्य, उसे सकारात्मक ढ़ंग से प्रभावित करने वाली सम्बन्धित नीतियों के सहयोग, सुविधाओं और उसे संचालित करने वाले तंत्र, समाज की जरूरत और आर्थिक योगदान से भी प्रभावित होगा। अनेक बार स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकते हैं, जो ऊपर वर्णित नही हैं। उपरोक्त कारको के अतिरिक्त, पशुधन विकास के अनेक आयाम, समाज की बदलती जरूरतों और उपलब्ध विकल्पों से भी प्रभावित होते हैं अर्थात बदलती जरूरतों और उपलब्ध विकल्पों के कारण भी पशुधन नीति और दृष्टिकोण में बदलाव की संभावना बनती है। यही परिस्थितियाँ, कमोबेश, मध्यप्रदेश में भी लागू है तथा इस सेक्टर को प्रभावित करती हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि पशुधन विकास को प्रभावित करने में प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि, उनका टिकाऊपन और आवश्यकता की आपूर्ति महत्वपूर्ण घटक हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़ा, टट्टू, खच्चर और खरगोश का मुख्य भोजन चारा, भूसा या खाने योग्य सामान्य हरी वनस्पतियाँ हैं। चारे और खाने योग्य वनस्पतियों की आपूर्ति का मुख्य स्रोत साझा एवं निजी भूमि है। इसके अलावा, फसल कटने के बाद बचा भुसा, तथा पशु दाना इत्यादि भी उनके भोजन का अंग है। इन कारकों का योगदान भी इस सेक्टर को प्रभावित करता है।

अनुलग्न 2 में प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। इस विवरण से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में पशुपालन की योजनाओं का फोकस नस्ल सुधार, प्रजातियों की अदला–बदली और उत्पादन वृद्धि जैसे कदमों की सहायता से हितग्राही के आर्थिक विकास पर केन्द्रित है।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 2</u>

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, कृषि की तुलना में इस सेक्टर का योगदान लगातार बढ़ रहा है। पशु पालन व्यवसाय में जानवरों के खानपान पर बहुत कम खर्च होता है और परम्परागत अनुभव के कारण यह व्यवसाय ग्रामीण समाज के लिये सहज (user friendly) ही अपनाने योग्य व्यवसाय है। इस सेक्टर के विकास के लिये जरूरी मूलभूत सुविधाओं यथा भोजन, पानी और स्वास्थ्य तथा उन्हे सुनिश्चित करने वाले प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधनों से सम्बन्धित उचित नीतिगत आधार उपलब्ध कराने की बुनियादी जरूरत हैं। इस सेक्टर को सहयोग प्रदान कर तथा उपयुक्त नीति के दृष्टिबोध के माध्यम से इसे समाज के लिये अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। अनुभव बताता है कि दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, सूअर पालन जैसी गतिविधियों में, सभी वर्ग के लिये आय की बेहतर संभावनायें हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में पशु–पक्षी पालन एवं संरक्षण के काम को नीतिगत महत्व दिया जाना चाहिए।

गो एवं भैंस वंशीय पशुओं की संख्या दो करोड़ चौंसठ लाख के करीब है। इन जानवरों से प्राप्त गोबर का सदुपयोग कर सौ करोड़ परिवारों के खाना पकाने के लिये गोबर गैस, समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लिये बिजली एवं परिवहन व्यवस्था तथा देश की सकल रसोई गैस की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।

गो वंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं के गोबर की ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में संभावनायें

भारत वर्ष में गो वंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं की कुल संख्या 2,64,87,910 है। इन जानवरों से प्राप्त होने वाले गोबर की मदद से देशी खाद, गोबर ऊर्जा और रसोई गैस की पूर्ति की संभावनायें निम्नानुसार हैं–

1. रसोई गैस– प्रति व्यक्ति रसोई गैस की सालाना खपत 15 किलोग्राम है। लगभग 750 लाख जानवरों से प्राप्त गोबर की मदद से 100 करोड़ लोगों की जरूरत की पूर्ति की जा सकती है।
2. भारत द्वारा हर साल 80 लाख टन कच्चा तेल आयात किया जाता है। लगभग 400 लाख जानवरों से प्राप्त गोबर की मदद से 80 लाख टन कच्चा तेल से पैदा करने लायक ऊर्जा पैदा की जा सकती है।
3. ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति की बिजली की सालाना जरूरत 112 किलोवाट के बराबर है। लगभग 850 लाख जानवरों से प्राप्त गोबर की मदद से पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है।
4. भारत में रासायनिक खाद की पूरी आपूर्ति लिक्विड नेचुरल गैस पर आधारित है। गोबर की लगभग 500 लाख टन स्लरी की मदद से पूरे भारत की रासायनिक खाद की जरूरत को पूरा किया जा सकता है और लिक्विड नेचुरल गैस का उपयोग खत्म किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उल्लिखित जरूरतों की पूर्ति के लिये लगभग 200 लाख जानवर लगेंगे। भारत में 264 लाख से अधिक जानवर मौजूद हैं।

4.2 पशु धन के मुख्य उत्पादन

4.2.1. भारत के 2004–05 के आंकडों के अनुसार निम्न उत्पादों का उत्पादन और कीमत नीचे अंकित है –

- दूध उत्पाद 907 लाख टन
- अंडे 45.2 करोड़
- मांस 22 लाख टन
- ऊन 445 लाख किलो

भारत के कृषि बजट 2004–05 के अनुसार, इस सेक्टर का योगदान लगभग 5120 करोड़ है।

4.2.2. मध्यप्रदेश में उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन (2005–06) नीचे अंकित है –

दूध उत्पाद	6283.5	हजार मेट्रिक टन
अंडे	9414	लाख
मांस	19.4	हजार टन
ऊन	431	हजार किलोग्राम

<u>नीतिगत वक्तव्य – 3</u>

भारत के कृषि बजट 2004 के अनुसार लघु, सीमान्त किसानों और भूमिहीन परिवारों की सालाना आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग मुर्गी और दुग्ध व्यवसाय से प्राप्त होता है। अकेले मुर्गी पालन सेक्टर से कुल सालाना आमदनी 15000 हजार करोड रूपये है। इस व्यवसाय से लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ये वे लोग हैं जिनमें अधिकांश गरीब और कम पढे लिखे हैं। अतः 20 लाख लोगों की माली हालत को सुधारने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर के सर्वांगीण विकास तथा जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये उपयुक्त नीति और नीति आधारित कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। अतः उपरोक्त संदर्भ में पशु पालन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

5. मध्यप्रदेश में पशुधन विकास से सम्बन्धित नीतियों के मौजूदा प्रावधान

पशुधन विकास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अनेक नीतियों यथा राजस्व, वन, कृषि,, जल नीति इत्यादि के सम्बन्धित प्रावधानों और कार्यकमों से है इसलिये पशुधन विकास पर असर डालने वाले प्रावधानों, प्रभावों और संभावित अवसरों को जानना और उनके निहित अर्थो को समझना उचित होगा।

5.1 राजस्व नीति

प्रदेश की राजस्व नीति 1959 में जारी हुई। इसका विवरण मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एव समय–समय पर हुये संशोधनों में उल्लेखित है। पिछले साल राज्य सरकार ने गैर वन पडत भूमि के उपयोग पर आदेश जारी कर उसके आवंटन का फार्मूला निर्धारत किया है। चूँकि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोडे, ऊँट इत्यादि का भोजन मुख्यतः वानस्पतिक है और उसका उत्पादन जमीन पर होता है अतः राजस्व नीति के चारा उगाने वाली भूमि से सम्बन्धित उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध चारा पैदा करने वाली साझा भूमि से है।

5.1.1 राजस्व नीति में पशुधन विकास के लिये भूमि उपयोग का प्रावधान

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, में प्रत्येक ग्राम में चारागाह या गोचर एवं गोठान की भूमि के न्यूनतम रकबे की आदर्श स्थिति का उल्लेख नही है पर, पूर्व में, प्रत्येक ग्राम में पशुओं के लिये चारे और विश्राम के लिये पर्याप्त जमीन उपलब्ध थी। जिन ग्रामों में यह जमीन नहीं थी उन ग्रामों में यह व्यवस्था पास के ग्राम की चारागाह एवं गोठान की जमीन पर उपलब्ध करा दी जाती थी।

मध्यप्रदेश रेवेन्यू बुक सर्कुलर्स के अनुसार ग्राम पत्रकों में स्थायी चारागाह और चारागाहों का उल्लेख है। ये भूमियाँ ग्राम की सामान्याधिकार भूमियाँ और वन क्षेत्रों की चारागाह भूमियाँ होती हैं। राजस्व की इन्ही साझा भूमियों पर पशुओं की चारे और उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी। पिछले कुछ सालों से राजस्व की साझा भूमि (commn land) जिसके अन्तर्गत स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह खाते में वर्गीकृत भूमि तथा खेती योग्य बंजर भूमि आती है, को आवंटित करने की पहल शुरू हुई है। इस पहल के कारण चारा पैदा करने वाली और जानवरों को बैठने का इलाका जो पहले, गांव की सकल जमीन का लगभग 10 से 12 प्रतिशत के आसपास या उससे अधिक होता था, वर्तमान में घट कर 1.5 से 2 पतिशत रह गया है।

4 अक्टूबर 2006 को मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के अर्न्तगत आने वाली गैर वन पडत भूमि (वन, निस्तार, छोटे / बडे झाड का जंगल, कृषि खातों की भूमि और आबादी की भूमि को छोड कर शेष भूमि) को आवंटित करने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद उक्त वर्ग की जमीन को निजी निवेश हेतु व्यक्ति, पंजीकृत संस्था तथा कम्पनी को एवं खेतीहर मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षित बेरोजगार युवा, भूतपूर्व सैनिक, भूमिहीन व्यक्तियों के स्व–सहायता समूह एवं अन्य को आवंटित की जा सकती है। इस आदेश पर अमल की कार्यवाही शुरू हो गई है। जाहिर है इस आदेश पर कार्यवाही के बाद पशुओं की जरूरत को पूरा करने के लिये आवश्यक गैर वन पड़त भूमि और कम हो जावेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा रतनजोत की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं और चूँकि रतनजोत को वन भूमि पर लगाने में नीतिगत / कानूनी दिक्कत है, अतः रतनजोत का अधिकांश रोपण राजस्व की भूमि पर ही होगा। इस रोपण के कारण भी राजस्व की चरनोई की जमीन के रकबे में कमी होने की संभावना है। प्रदेश की राजस्व नीति के उपरोक्त बदलते प्रावधानों का दूरगामी परिणाम, पशु चारे की कमी के रूप में सामने आवेगा और चारे पर आश्रित पशुओं की संख्या को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करेगा।

5.1.2. राजस्व नीति के वर्तमान प्रावधानों का पशुधन विकास पर प्रभाव

पशुधन विकास पर प्रभाव डालने वाले प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है–

1. भूमि आवंटन– राजस्व की अन–अधिवासित भूमि (unoccupied land) को आवंटित करने के कारण ग्रामों में चरनोई की जमीन, पूर्व की तुलना में बहुत कम रह गई है जिसके कारण चारे का उत्पादन घटा है।
2. राजस्व की अन–अधिवासित भूमि पर अतिक्रमण– अनअधिवासित भूमि पर अतिकमण के कारण अनेक ग्रामों में चरनोई की जमीन घटी है और चारे का उत्पादन भी घटा है।

3. गैर वन पडत भूमि का आवंटन (अक्टूबर 2006) – इस आवंटन आदेश के बाद राजस्व की चारा पैदा करने वाली सरकारी जमीन और कम होगी जिसके कारण और कम चारा पैदा होगा।
4. गैर वन क्षेत्रों में रतनजोत की खेती को बढ़ावा – रतनजोत के रोपण के कार्यक्रम के कारण चारा पैदा करने वाले इलाके में कमी होगी और भविष्य में कम चारा पैदा होगा।
5. अखाद्य प्रजातियों का रोपण – कुछ इलाकों में बी. टी. काटन या अन्य अखाद्य प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशु चारे की अनदेखी करने वाले इन कार्यक्रमों के कारण भी चारे का उत्पादन कम हो रहा है।
6. भूमि उपचार कार्यक्रम – सरकारी जमीनों, पर मिट्टी एवं पानी के संरक्षण के कामों की कमी, उन पर कम ध्यान देने या कम बजट देने के कारण वायो मास उत्पादन घटा है।

नीतिगत वक्तव्य– 4

प्रदेश की राजस्व नीति में वर्णित प्रावधानों, कार्यक्रमों और कदमों के कारण चारे की उपलब्धता लगातार घटी है, पशु पालन की लागत बढी है जिसके कारण अल्प आय या कम पूँजी वाले गरीब पशु व्यवसायियों की इस काम में रूचि कम हुई है। प्रदेश में पशु उत्पाद मंहगे हुये हैं तथा विदेशी बाजार एवं बडे पूंजीपति हावी हुये हैं। अतः पशु एवं पक्षियों के खाद्य पदार्थो एवं चारे की सहज एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए नीतिगत निर्णय लेकर हर संभव प्रयास किये जाने चाहिये।

5.1.3. राजस्व नीति में पशुधन विकास के लिये मौजूद अवसर

अ. राजस्व नीति में चारा उत्पादन के लिये भूमि चिन्हित करने के अवसर उपलब्ध हैं अतः पशु चारे की मांग आधारित पूर्ति के लिये राजस्व विभाग से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम के लिये साझा भूमियों को आरक्षित कराना चाहिये।
ब. राजस्व नीति में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है इसलिये सरकारी भूमि से अतिकमण हटाने, उसे अतिक्रमण से बचाने और अन्य उपयोग में लिये जाने से रोकने के लिये कदम उठाना चाहिये।
स. प्रदेश में शेष बची गैर वन पड़त भूमि (वन, निस्तार, छोटे / बडे झाड का जंगल, कृषि खातों की भूमि और आबादी की भूमि को छोड कर शेष भूमि) को पशु पालक संघों को चारा पैदा करने के लिये आवंटित करना चाहिये। इन भूमियों को पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को आवंटित करना चाहिये। पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को संरक्षण देने के लिये कानून बनाना चाहिये।
द. राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों में सरकारी जमीन पर काम करने के अवसर मौजूद हैं अतः वांछित काम पूरे कर इष्टतम (optimum) बायोमास उत्पादन हासिल करना चाहिये। इन इलाकों का प्रबन्ध पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को सोंपना चाहिये और उनके प्रजातांत्रिक ढांचे को संरक्षण देने के लिये कानून बनाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 5

प्रदेश की राजस्व नीति में पशुधन विकास के लिये अनेक अवसर मौजूद हैं। इन अवसरों का उपयोग कर चारे की उपलब्धता बढाई जा सकती है, पशु पालन की लागत कम की जा सकती है। पशु पालन की लागत कम होने से अल्प आय या कम पूँजी वाले गरीब पशु व्यवसायियों की रूचि बढा कर उन्हे आय बढाने के अवसर दिलाये जा सकते हैं। प्रदेश में पशु उत्पाद सस्ते कराये जा सकते हैं और प्रदेश के गरीबों की गरीबी कम कराई जा सकती है। अतः शासकीय भूमि का उपयोग पशुपालन एवं पशुओं के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

5.2 वन नीति

मध्यप्रदेश की वन नीति 2005 में जारी हुई। इस नीति की प्रस्तावना में वनों के प्रबन्ध का दिशाबोध वर्णित है। इस वर्णन में कहा गया है कि वनों का प्रबन्धन इस प्रकार किया जावेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थिकीय संतुलन एवं भूजल संरक्षण के साथ साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्कताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।

उल्लेखनीय है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोडे, ऊँट इत्यादि का भोजन मुख्यतः वानस्पतिक है और उसका उत्पादन वन भूमि पर भी होता है इस कारण वन नीति के, चारा उगाने अर्थात पशुओं के भोजन उपलब्ध कराने वाले प्रावधानों, को आगे उल्लेखित करना उचित होगा।

5.2.1. प्रदेश की वन नीति में पशुधन विकास के लिये प्रावधान

पशुधन के विकास के अनुक्रम में प्रदेश की वन नीति के निम्न प्रावधान महत्वपूर्ण हैं–

1. पैरा 2.4 में कहा गया है कि इमारती काष्ठ , जलाऊ लकडी, बांस, चारे तथा लघु वनोपज के उपयोग का युक्तियुक्तकरण करते हुये इनका अधिकाधिक उत्पादन करना तथा वन आश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के लिये वातावरण निर्मित करना ।
2. वन नीति के पैरा 2.9 में कहा गया है कि वनों के संवहनीय विदोहन से प्राप्त उत्पादों को केवल आय का स्रोत न मान कर इनके उपयोग में स्थानीय समुदायों की सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

3. पैरा 2.10 में कहा गया है कि वनों से समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर वनाश्रित आदिवासी समुदायों एवं महिलाओं के पर्यावर्णीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों के सम्वहनीय विकास के लिये प्रयास करना।
4. वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति के पैरा 3.34 में कहा गया है कि वनों से समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर वनाश्रित आदिवासी समुदायों एवं महिलाओं के पर्यावर्णीय, आर्थिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों के सम्वहनीय विकास के लिये प्रयास करना।
5. वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति के पैरा 3.3.4.1 (अनियंत्रित चराई) में कहा गया है कि वन क्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुरूप चराई प्रबन्धित की जावेगी। अवैध एवं अति चराई को पूर्णतः बन्द किया जावेगा।
6. वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति के पैरा 3.3.4.3 (अनियंत्रित चराई) में कहा गया है कि अत्यधिक चराई से वनों को होने वाली व्यापक हानि को कम करने हेतु रिक्त एवं विरल वन क्षेत्रों का चयन कर चारागाह विकास हेतु सघन योजनायें बनाई जावेंगी।

5.2.2. प्रदेश की वन नीति के वर्तमान प्रावधानों का पशुधन विकास पर प्रभाव

1. चराई क्षेत्रों के बारे में जानकारी– चराई के लिये वैध एवं चराई के लिये प्रतिबन्धित (अवैध) क्षेत्रों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण चराई का सही नियमन नही हो पा रहा है।
2. चारागाह विकास हेतु सघन योजनायें– रिक्त एवं विरल वन क्षेत्रों में चारागाह विकास हेतु सघन योजनायें या तो नही बन रही हैं या उन योजनाओं पर बहुत कम धन व्यय किया जा रहा है या कम ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रावधान का पालन नही होने के कारण चारे का सही उत्पादन नही हो रहा है।
3. चराई नुकसान के बारें में भेदभाव– राजस्व इलाकों में रहने वाले पालतू जानवरों तथा जंगली जानवरों द्वारा वन क्षेत्रों के नुकसान के बारे में भेदभाव बरतने के कारण समाज में तनाव बढ़ रहा है।

5.2.3. प्रदेश की वन नीति में चारा उत्पादन के लिये उपलब्ध अवसर

1. प्रदेश की वन नीति के पैरा 2.4 में चारे के उपयोग का युक्तियुक्तिकरण करने, उसका अधिकाधिक उत्पादन करने और पैरा 3.3.4.1 में चयनित रिक्त एवं विरल वन क्षेत्रों में चारागाह विकास हेतु सघन योजनायें बनाये जाने का उल्लेख है। इस प्रावधान का उपयोग कर वनों की क्षमता के अनुसार चारे का उत्पादन प्राप्त किया जाना चाहिये।
2. चराई के लिये वैध तथा चराई के लिये अवैध क्षेत्रों के बारे में ग्रामीण समाज को जानकारी उपलब्ध करा कर चराई का नियमन कराना चाहिये।
3. मध्यप्रदेश में लगभग 8585 हजार हैक्टर वन क्षेत्र है। इन वनों की घास उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा दोहन करना चाहिये और पैदा की गई घास को प्रदेश के कोने कोने में पाले जा रहे जानवरों तक पहुँचाने वाली व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 6

इन प्रावधानों को अवसर में बदलने के लिये वन विभाग से समन्वय कर पशु चारे की मांग आधारित सतत पूर्ति के लिये योजनायें क्रियान्वित की जानी चाहिये और इन भूमियों से प्राप्त होने वाले चारे एवं वानस्पतिक खाद्यान्नों पर पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को अधिकार (usofruct rights) दिलाया जाना चाहिये। पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को संरक्षण देने के लिये कानून बनाया जाना चाहिये।

5.3 कृषि नीति

मध्यप्रदेश राज्य में अभी तक प्रादेशिक कृषि नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप नही दिया गया है पर कृषि पर दिशा बोध के लिये राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 उपलब्ध है। इस नीति के पेरा 7 में उल्लेख है कि पशु चारा एवं पशु आहार की उपलब्धता की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये चरनोई की जमीन के प्रबन्ध को विशेष महत्व मिलेगा।

कृषि नीति के उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध पशुओं के विकास से जुडा है या उसे प्रभावित करता है।

5.3.1. कृषि नीति में पशुधन विकास के लिये प्रावधान

1. कृषि नीति के पैरा 11 में उल्लेख है कि शासकीय पड़त भूमि पर किसानों और भूमिहीन मजदूरों को चारागाह एवं वानिकी कार्यक्रमों में वित्तीय प्रोत्साहन एवं वृक्षों तथा चारागाह के उत्पादों पर अधिकार देकर जोड़ा जावेगा।
2. इसी नीति के पैरा 15 में उल्लेख है कि दूध, मांस, अन्डा एवं अन्य पशु उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय पशु प्रजनन रणनीति विकसित की जावेगी। साथ ही जुताई एवं माल ढ़ोने के काम में आने वाले जानवरों की खेती और परिवहन में भूमिका का विस्तार किया जावेगा ।
3. इसी नीति के पैरा 16 में उल्लेख है कि –
   - पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद बढ़ाने के लिये उपयुक्त तकनीकों की खोज कर उनका प्रचार प्रसार किया जावेगा एवं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद के स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।
   - पौष्टिक आहार एवं पशु कल्याण के लिये चारे और पशु चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रजातियों की खेती को बढ़ावा दिया जावेगा।

- पशु वध गृहों के आधुनिकीकरण और तदुपरान्त मृत जानवरों के शरीर के विभिन्न भागों के उचित उपयोग एवं मूल्य संम्बर्धन के लिये प्रसंस्करण, विपणन (बाजार उपलब्ध कराना) एव परिवहन व्यवस्था को वरीयता प्रदान कर अधिक ध्यान दिया जावेगा।
- निर्यात के लिये चूंकि पशु रोग निवारण एवं संक्रमणित पशुओं को अन्य जानवरों से दूर रखने की व्यवस्था आवश्यक होती है इसलिये जानवरों की सेहत को ठीक रखने वाली व्यवस्था को मजबूत एवं बीमारी रहित क्षेत्र स्थापित किये जावेंगे। पशु सम्बर्धन, मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सहकारिता एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा।
- पशुधन एवं मछली उत्पादन गतिविधियों को दी जाने वाली सुविधाओं को फसलों के उत्पादन हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बरावर लाया जावेगा अर्थात समान सुविधाओं दी जावेंगी ।
- इसी नीति के पैरा 18 में उल्लेख है कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक दृष्टि से अनुकूल नई फसलों एवं उद्यानिकी प्रजातियों, पशु पक्षिओं तथा जलचरों की प्रजातियों के विकास को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दी जावेगी। इस प्राथमिकता में जर्माप्लाज्म एवं अन्य जैवविविधता वाले संसाधनों का संरक्षण एवं न्यायपूर्ण उपयोग किया जावेगा।
- पशु रोग निवारण एवं संक्रमणित पशुओं को अन्य जानवरों से दूर रखने की व्यवस्था के अर्न्तगत दूध, मांस, अन्डा एवं अन्य पशु उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय पशु प्रजनन रणनीति विकसित की जावेगी। साथ ही जुताई एवं माल ढोने के काम में आने वाले जानवरों की खेती और परिवहन में भूमिका का विस्तार किया जावेगा ।

5.3.2. राष्ट्रीय कृषि नीति और पशुधन विकास के लिये उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव

- राष्ट्रीय कृषि नीति के पैरा 11 में उल्लिखित लाभदायक प्रबन्धन के अधिकार किसानों और भूमिहीन मजदूरों को नहीं दिये गये हैं। इस कारण किसानों और भूमिहीन मजदूर आवश्यक रुचि नही ले रहे है।
- राष्ट्रीय पशु प्रजनन रणनीति विकसित नही होने के कारण दूध, मांस, अन्डा एवं अन्य पशु उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिये दिशा बोध का अभाव है।
- जुताई एवं माल ढोने के काम में आने वाले जानवरों की खेती और परिवहन में भूमिका का विस्तार नही देने के कारण जानवरों महत्व कम हो रहा है।
- पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद बढ़ाने के लिये उपयुक्त तकनीकों की खोज कर उनका प्रचार प्रसार किया जावेगा एवं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद के स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। इस दिशा में विशेष ध्यान नहीं देने के कारण पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद पर खराब असर पड रहा है।
- पौष्टिक आहार एवं पशु कल्याण के लिये चारे और पशु चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रजातियों की खेती को बढ़ावा नही देने के कारण चारे की कमी हो रही है।
- पशु वध गृहों के आधुनिकीकरण, मृत जानवरों के शरीर के विभिन्न भागों के उचित उपयोग एवं मूल्य संम्बर्धन के लिये प्रसंस्करण, विपणन (बाजार उपलब्ध कराना) एव परिवहन व्यवस्था को वरीयता नही मिलने के कारण हितग्राही समाज अपेक्षित सही लाभ से वंचित है।
- पशु निर्यात के लिये पशु स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक पशु स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर बनी है जिसके कारण संभावित निर्यात के अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं। ।
- पशु संवर्द्धन, मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सहकारिता एवं निजी क्षेत्र को संभावनाओं एवं बाजार की मांग के अनुरूप प्रोत्साहित नहीं किया गया है जिसके कारण इस सेक्टर पर बुरा असर पड़ रहा है।
- पशुधन एवं मछली उत्पादन गतिविधियों को दी जाने वाली सुविधाओं को फसलों के उत्पादन हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बराबर नहीं लाया गया है। इस कारण इस सेक्टर पर बुरा असर पड़ रहा है।
- स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक दृष्टि से अनुकूल पशु पक्षिओं के विकास को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता नही दी जा रही है। इस कमी के कारण जर्माप्लाज्म एवं अन्य जैवविविधता वाले संसाधनों का संरक्षण एवं न्यायपूर्ण उपयोग किया जाना कठिन हो रहा है। जिसके कारण उत्पादकता एवं सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

5.3.3. राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में उपलब्ध अवसर

- पशु चारा एवं पशु आहार की उपलब्धता की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये चरनोई की जमीन के प्रबन्ध को विशेष महत्व देने का उल्लेख है। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- शासकीय पड़त भूमि पर किसानों और भूमिहीन मजदूरों को चारागाह एवं वानिकी कार्यक्रमों में वित्तीय प्रोत्साहन एवं वृक्षों तथा चारागाह के उत्पादों पर अधिकार देकर जोड़ा जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- दूध, मांस, अन्डा एवं अन्य पशु उत्पादों की मांग की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय पशु प्रजनन रणनीति विकसित करने का उल्लेख है। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- जुताई एवं माल ढ़ोने के काम में आने वाले जानवरों की खेती और परिवहन में भूमिका का विस्तार किया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद बढ़ाने के लिये उपयुक्त तकनीकों की खोज कर उनका प्रचार प्रसार किया जावेगा एवं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद के स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। इस प्रावधान का प्रदेश की जनता के हित में लाभ लिया जाना चाहिये।
- पौष्टिक आहार एवं पशु कल्याण के लिये चारे और पशु चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रजातियों की खेती को बढ़ावा दिया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।

- पशु वध गृहों के आधुनिकीकरण और तदुपरान्त मृत जानवरों के शरीर के विभिन्न भागों के उचित उपयोग एवं मूल्य संम्बर्धन के लिये प्रसंस्करण, विपणन एव परिवहन व्यवस्था को वरीयता प्रदान कर अधिक ध्यान दिया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- निर्यात के लिये चूंकि पशु रोग निवारण एवं संक्रमणित पशुओं को अन्य जानवरों से दूर रखने की व्यवस्था आवश्यक होती है इसलिये जानवरों की सेहत को ठीक रखने वाली व्यवस्था को मजबूत एवं बीमारी रहित क्षेत्र स्थापित किये जावेंगे। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- पशु संवर्द्धन, मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सहकारिता एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- पशुधन एवं मछली उत्पादन गतिविधियों को दी जाने वाली सुविधाओं को फसलों के उत्पादन हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बरावर लाया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक दृष्टि से अनुकूल पशु पक्षिओं तथा जलचरों की प्रजातियों के विकास को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दी जावेगी। इस प्राथमिकता में जर्माप्लाज्म एवं अन्य जैवविविधता वाले संसाधनों का संरक्षण एवं न्यायपूर्ण उपयोग किया जावेगा। इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।
- पशु रोग निवारण एवं संक्रमणित पशुओं को अन्य जानवरों से दूर रखने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले इस प्रावधान का लाभ लिया जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 7</u>

राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में पशुधन विकास से सम्बन्धित उपरोक्त बिन्दुओं को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपनी पशुधन नीति का आधार बनाया जाना चाहिये। संक्षेप में इन प्रावधानों को अवसर में बदलने के लिये योजनायें बनाई जाना चाहिये और उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये। पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को वृक्षों तथा चारागाह के उत्पादों पर अधिकार (usofruct rights) दिलाया जाना चाहिये एवं पशुपालकों के प्रजातांत्रिक ढांचे को संरक्षण देने के लिये विधान सभा में कानून बनाया जाना चाहिये।

5.4. जल नीति

वर्ष 1987 में पहली राष्ट्रीय जल नीति घोषित हुई। सन 2002 में उसे पुनरीक्षित किया गया। सन 2002 में घोषित राष्ट्रीय जल नीति में राज्यों को अपने प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप प्रादेशिक जल नीति बनाने का प्रावधान मौजूद था। इस प्रावधान का उपयोग कर, मध्यप्रदेश सरकार ने प्रादेशिक जल नीति का प्रारूप तैयार किया है। प्रादेशिक जल नीति के उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध पशुओं के विकास से जुडा है या उसे प्रभावित करता है।

5.4.1. प्रादेशिक जल नीति में पशुधन विकास के लिये प्रावधान

1. प्रदेश की जल नीति के दस्तावेज के पैरा 1.6 में उल्लेख है कि वृहद तथा बहुउद्देशीय योजनाओं के आयोजन और क्रियान्वयन में पर्यावरण की सुरक्षा, परियोजना से व्यक्तियों तथा पशुओं के पुनर्वास, जल संग्रह के कारण होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण तथा बान्धों एवं अन्य सम्बन्धित संरचनाओं की सुरक्षा का समावेश होना चाहिये।
2. प्रदेश की जल नीति के दस्तावेज के पैरा 1.11 में उल्लेख है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि दर के अनुरूप ही सिंचाई के आाधुनिक, वैज्ञानिक, किफायती एवं देशी साधनों के विस्तार की भी आवश्यकता होगी। इस तरह मानव एवं पशुओं के पीने का पानी तथा निस्तार की बढ़ती हुई समेकित आवश्यकताओ की भी पूर्ति करनी होगी।
3. इसी नीति क पैरा 1.13 में उल्लेख है कि पर्यावरण के सन्तुलन, अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास से पानी के असाधारण महत्व को देखते हुये आर्थिक तथा सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों, पानी के विभिन्न संसाधनों का मिला–जुला सुनियोजित और कुशल प्रबन्ध, मितव्यियता, समानता पर आधारित उपयोग, मनुष्य और प्राणीमात्र के लिये जल की आवश्यकता का जीवन्त महत्व आदि को दृष्टिगत रखते हुये एक सुदृढ़ एवं समेकित राज्य जल नीति की सर्वाधिक आवश्यकता होगी।
4. इसी नीति के पैरा 8.13 में उल्लेख है कि अन्य प्रयोजनों की अपेक्षा उपलब्ध जल पर, प्रथम अधिकार मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अधिकार का रहा है।
5. इसी नीति के पैरा 10.9 में उल्लेख है कि सिंचाई के साथ ही साथ अन्य प्रयोजनों के लिये भी इस्तेमाल किये जल का मूल्य स्थानीय समुदाय या सम्बन्धित विभागों को दिये जाने के राज्य के आदेशों का सही भावना से पालन होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि राज्य अपने स्रोतों से पेयजल, कृषि एवं अन्य प्रयोजनों, जैसे विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि के लिये जल उपलब्ध कराने, इनकी परियोजनाओं के संचालन, रखरखाव, उचित प्रबन्धन, नियोजन इत्यादि में अपनी सशक्त भूमिका निभा सके।
6. इसी नीति क पैरा 17.2 में उल्लेख है कि मानव तथा प्राणी मात्र के जीवन के लिये जल के परमावश्यक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिये समस्त प्रकार की आर्थिक तथा विकास सक्रियताओं के लिये और इसकी बढ़ती हुई किल्लत पर विचार करते हुये इस संसाधन का नियोजन तथा प्रबन्ध और इसका अनुकूलतम, किफायती तथा समान एवं पुनः उपयोग परम आवश्यकता का विषय हो गया है।

5.4.2. प्रादेशिक जल नीति में पशुधन विकास के लिये उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव

- प्रदेश की जल नीति के दस्तावेज के पैरा 1.6 में उल्लेख है कि वृहद तथा बहुउद्देशीय योजनाओं के आयोजन और क्रियान्वयन में पशुओं के पुनर्वास के लिये सार्थक रणनीति विकसित नही हुई है जिसके कारण पशुओं के पुनर्वास पर बुरा असर पड रहा है।
- प्रदेश की जल नीति के दस्तावेज के पैरा 1.11 में उल्लेख है कि पशुओं के पीने का पानी की बढ़ती हुई समेकित आवश्यकताओ की भी पूर्ति करनी होगी। उल्लेख है कि सभी ग्रामों और चरनोई / गोठानों में पशुओं के पीने का पानी, पूरे साल उपलब्ध नही है। इस व्यवस्था का अभाव है जिसके कारण अनेक स्थानों पर पानी की कमी के कारण पशुओं की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।
- इसी नीति के पैरा 1.13 में उल्लेख है कि प्राणिमात्र के लिये जल की आवश्यकता का जीवन्त महत्व आदि को दृष्टिगत रखते हुये एक सुदृढ़ एवं समेकित राज्य जल नीति की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। उल्लेख है कि मनुष्य और प्राणीमात्र के लिये जल की आवश्यकता का जीवन्त महत्व स्वीकारने के बाद भी हर बसाहट में पीने के पानी का पर्याप्त इन्तजाम नही है और अनेक इलाकों में पीने के साफ पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है जिसे जानवर भी भोग रहे हैं। इस कमी के कारण इस सेक्टर पर बुरा असर पड रहा है।
- इसी नीति के पैरा 8.13 उपलब्ध जल पर, प्रथम अधिकार मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अधिकार का उल्लेख है। इस उल्लेख के बाद भी अधिकार को देने की दिशा में कुछ भी नही हुआ है।
- इसी नीति के पैरा 17.2 में उल्लेख है कि मानव तथा प्राणी मात्र के जीवन के लिये पानी की बढ़ती हुई किल्लत के कारण इसके नियोजन तथा प्रबन्ध और इसका अनुकूलतम, किफायती तथा समान एवं पुनः उपयोग की दिशा में काम नही किये गये हैं जिसके कारण इस सेक्टर पर बुरा असर पड रहा है।

5.4.3. प्रादेशिक जल नीति में उपलब्ध अवसर

- प्रादेशिक जल नीति के पैरा 1.6 में पशुओं के पुनर्वास का उल्लेख है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिये।
- प्रादेशिक जल नीति के पैरा 1.11 में पशुओं के पीने के पानी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का उल्लेख है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिये एवं संरचनाये बनवाना चाहिये।
- प्रादेशिक जल नीति के पैरा 1.13 में प्राणीमात्र के लिये जल की आवश्यकता के जीवन्त महत्व की सर्वाधिक आवश्यकता का उल्लेख है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिये एवं संरचनाये बनवाना चाहिये।
- प्रादेशिक जल नीति के पैरा 8.13 में उपलब्ध जल पर, प्रथम अधिकार मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के प्रथम अधिकार का है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिये एवं संरचनायें बनवाना चाहिये।
- प्रादेशिक जल नीति के पैरा 17.2 में उल्लेख है कि मानव तथा प्राणी मात्र के जीवन के लिये जल के नियोजन तथा प्रबन्ध और अनुकूलतम, किफायती तथा समान एवं पुनः उपयोग आवश्यकता का विषय है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस प्रावधान का उपयोग करना चाहिये एवं संरचनाये बनवाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 8</u>

पशुओं और पक्षियों के लिए पानी की सतत् एवं सुरक्षित आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग से समन्वय कर पशुधन विकास से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं तथा पशु–पक्षियों की जरूरतों का समावेश कराने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जानी चाहिये। इस व्यवस्था पर समाज का अधिकार होना चाहिये और सरकार द्वारा इस दिशा में सभी प्रयास किए जाने चाहिये।

5.5. पर्यावरण नीति

भारत सरकार की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्ष 2006 में घोषित हुई। इसके पहले पर्यावरण प्रबन्ध में विभिन्न नीतियों ने योगदान दिया था। इनमें वन नीति 1988, पालिसी स्टेटमेंन्ट आन पर्यावरण एवं विकास 1992, प्रदूषण नियंत्रण हेतु पालसी स्टेटमेंट 1992 तथा अन्य विभागों की नीतियाँ यथा राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जल नीति 2002 इत्यादि मुख्य हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का केन्द्र बिन्दु स्वच्छ वातावरण है जो भारत के संविधान के आर्टीकल 48 ए और 51 ए (जी) में उल्लेखित है और जिसे संविधान के आर्टीकल 21 की न्यायिक व्याख्या द्वारा अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई है। संक्षेप में, यद्यपि, आजीविका और मानव मात्र की खुशहाली के लिये पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है परन्तु पर्यावरणीय संसाधनो के संरक्षण का सबसे सुरक्षित या कारगर तरीका, वह है जिसके अनुसार, उस खास संसाधन का, जिस पर समाज का एक वर्ग निर्भर है, संसाधन को बरबाद किये बिना, संसाधन संरक्षण के माध्यम से, बेहतर लाभ सुनिश्चित करे।
पर्यावरण नीति के उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध पशुओं के विकास से जुडा है या उसे प्रभावित करता है।

5.5.1. पर्यावरण नीति में पशुधन विकास के लिये प्रावधान

पर्यावरण नीति में पशुधन विकास के लिये पृथक से कोई प्रावधान नही हैं।

5.5.2. पर्यावरण नीति और पशुधन विकास के लिये उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव

पर्यावरण नीति में उपयुक्त प्राववधानों की कमी या पालन में हो रही लापरवाही के कारण प्लास्टिक का निपटान सही नही हो रहा है। इस कारण, यत्र–तत्र बिखरे प्लास्टिक को जानवरों द्वारा अनजाने या मजबूरी में खाने और मरने की घटनायें लगातार बढ रही हैं। पर्यावरण नीति में प्लास्टिक के निपटान सम्बन्धी उपयुक्त प्रावधानों की कमी या उसके प्रभावी कियान्वयन के अभाव के कारण नगरीय एवं ग्रामीण इलाके के पशुधन की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।

5.5.3. पर्यावरण नीति में उपलब्ध अवसर

- पर्यावरण नीति में पशुधन विकास से सम्बन्धित बिन्दुओं का समावेश कराने की कार्यवाही की जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 9

पशु एवं पक्षी संरक्षण पर्यावरण विकास का एक अहम् हिस्सा है अतः पर्यावरण नीति में पशुधन विकास के लिए उचित प्रावधान किये जाने चाहिये और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए पशुधन विकास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण किया जाना चाहिये एवं समुचित अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिये। पशु पालकों एवं उनके प्रजातांत्रिक संगठनों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहभागी बनाया जाना चाहिये और भूमिका प्रदान की जाना चाहिये।

5.6. पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति

- भारत सरकार की अद्यतन परियोजना प्रभावित परिवारों के लिये राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2003 में घोषित हुई। इस नीति को भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खंड 1 कमांक 46 दिनांक 17 फरवरी 2004 को प्रकाशित किया गया है। इस नीति के चेप्टर 2 के बिन्दु कमांक (स) में परियोजना से प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने का उल्लेख है।
- मध्यप्रदेश में नर्मदा सागर (इन्दिरा सागर) काम्प्लेक्स परियोजना की डूब से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से सम्बन्धित नीति फरवरी 1985 में लागू की गई थी। इस नीति में 1987 एवं 1989 में संशोधन किये गये हैं। मध्यप्रदेश की पुनर्वास नीति, मौटेतौर से भारत की नीति के अनुसार है।
- राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति या मध्यप्रदेश की पुनर्वास नीति के उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध पशुओं के विकास से जुडा है या उसे प्रभावित करता है।

5.6.1. पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति में पशुधन विकास के लिये प्रावधान –

- परियोजना प्रभावित परिवारों के लिये राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के पैरा 6.8 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के जानवरों के शेड बनाने के लिये तीन हजार रुपयों की सहायता का प्रावधान है।
- परियोजना प्रभावित परिवारों के लिये राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के पैरा 6.9 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिये अपना पारिवारिक सामान एवं पशुओं को नयी बसाहट पर ले जाने के लिये पांच हजार रुपयों की सहायता का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के पैरा 6.22 के उप पैरा 6.22.2 में नई बसाहट में यथा संभव दी जाने वाली न्यूनतम मूलभूत सुविधायें तथा अधोसंरचना (यथा पेयजल सुविधा, बिजली, स्कूल, अस्पताल) उपलब्ध कराने का, राज्य के दिशा निर्देशानुसार किये जाने का उल्लेख वर्णित है।

5.6.2. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति के .प्रावधानों का प्रभाव –

- राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के पैरा 6.8 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के जानवरों के लिये शेड बनाने के लिये तीन हजार रूपयों की सहायता का प्रावधान है। अतः नई बसाहट पर जानवरों के लिये शेड बनाये जा सकते हैं।
- राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के पेरा 6.9 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिये अपना पारिवारिक सामान एवं पशुओं को नयी बसाहट पर ले जाने के लिये पांच हजार रूपयों की सहायता का प्रावधान है। इस प्रावधान के चलते जानवरों को नई बसाहट पर ले जाया सकता है।

5.6.3. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति में उपलब्ध अवसर

- उपरोक्त नीति के पैरा 6.8 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के जानवरों के लिये शेड बनाने के लिये तीन हजार रुपयों की सहायता का अवसर उपलब्ध है।
- पैरा 6.9 में परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिये अपना पारिवारिक सामान एवं पशुओं को नयी बसाहट पर ले जाने के लिये पांच हजार रुपयों की सहायता का अवसर उपलब्ध है।
- पैरा 6.22 के उप पैरा 6.22.2 में नई बसाहट में राज्य के दिशा निर्देशानुसार यथा संभव दी जाने वाली न्यूनतम मूलभूत सुविधायें तथा अधोसंरचना उपलब्ध कराने का, उल्लेख है।
- उपरोक्त नीति में नई बसाहट पर मूल भूत सुविधाओं के अर्तगत पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम साझा जमीन का प्रावधान रखा जाना चाहिये।
- स्थानीय परिस्थितियों में आवश्यक अन्य बिन्दुओं का समावेश कराने की कार्यवाही करना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 10

वर्तमान विकास की प्रक्रिया में विस्थापन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। अब तक विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों में मानव पुनर्वास को ही स्थान दिया गया है जबकि विस्थापन की इस प्रक्रिया का पशु–पक्षी धन के ऊपर ज्यादा विपरीत असर देखा गया है। अतः राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुर्नवास नीति में पशुधन विकास के लिए उचित प्रावधान शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये। इसके साथ ही विस्थापन की प्रक्रिया में पशुधन को भी मानव विस्थापन की तर्ज पर महत्व दिया जाना चाहिये।

5.7. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

5.7.1. नगरीय इलाकों में निम्न कामों के लिये व्यवस्था

वर्ष 1973 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम पारित किया गया। सन 1973 में पारित अधिनियम में राज्य के नगरीय इलाकों में निम्न कामों के लिये व्यवस्था की गई है –

- प्लानिंग तथा विकास एवं भूमि उपयोग
- विकास और जोनिंग की परियोजनाओं की बेहतर आयोजना ताकि नगरीय क्षेत्रों की भूमि की प्लानिंग उपयुक्त हो और प्लानिंग का क्रियान्वयन प्रभावी हो।
- नगर तथा ग्राम निवेश अथार्टी की स्थापना
- उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के प्रावधान

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के उन प्रावधानों को आगे उल्लेखित किया गया है जिनका सम्बन्ध पशुओं के विकास से जुड़ा है या उसे प्रभावित करता है।

5.7.2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और पशुधन विकास के लिये उपलब्ध प्रावधानों का प्रभाव

- ज्ञातव्य है कि नगरीय इलाकों में भी अनेक लोग पशुपालन की गतिविधियों से जुड़े हैं। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में पशुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति या उनके विकास के लिये के लिये उपलब्ध प्रावधान पशुपालकों के लिये असुविधाजनक हैं।

5.7.3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में उपलब्ध अवसर

- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में भूमि उपयोग के लिये क्षेत्रों के निर्धारण का प्रावधान है। इस नियम के अन्तर्गत पशुओं तथा पक्षियों की जरूरतों की पूर्ति के लिये प्रावधान जोडे जाने चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 11

वर्तमान में नगरीय विकास की प्रक्रिया में पशु–पक्षियों के लालन–पालन के लिए अवसर असुविधाजनक हैं। नगरीय इलाकों में इनका लालन–पालन एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है जिसके कारण अनेक बार पशु–पक्षियों का विस्थापन पशु पालकों और पशु–पक्षियों के विकास की प्रक्रिया को विपरीत ढंग से प्रभावित करता है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में पशुधन विकास के लिए उचित प्रावधान शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये। इसके साथ ही नगरीय नियोजन की प्रक्रिया में पशुधन को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 12</u>

सरकार द्वारा पशुओं तथा पक्षिओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सर्वसुविधा युक्त एवं पर्याप्त सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह व्यवस्था सुरक्षात्मक एवं निवारणात्मक, दोनों प्रकार की होनी चाहिये और पूरे प्रदेश में लागू की जानी चाहिये। इस व्यवस्था के आडे आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिये और सरकार द्वारा इसके लिये सर्वसुविधा युक्त सेवा की पुख्ता व्यवस्था की जाना चाहिये। एवं चलित पशु चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ करना चाहिए। पशु चिकित्सा की पारंपरिक एवं हौम्योपैथी प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये एवं इस हेतु गैर सरकारी संस्थाओं की मदद लेना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 13</u>

पशुओं और पक्षियों का आधुनिक तकनीकों पर आधारित (वैज्ञानिक तरीके) से संम्वर्धन किया जाना चाहिये तथा उन्नत पशुओं तथा पक्षियों की मांग एवं स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्रजनन सुनिश्चित किया जाना चाहिये और इसके लिये सर्वसुविधा युक्त सेवा की पुख्ता व्यवस्था की जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 14</u>

सरकार द्वारा पशु धन सम्बर्धन एवं उनके विकास से जुडे कामों को हाथ में लेना चाहिये ताकि उन कामों की मदद से पशुधन उत्पादन में बढोत्तरी की जा सके और उसके द्वारा समाज हितकारी विपणन को बढावा दिया जा सके। चूँकि यह काम मुख्यतः गरीब और विपरीत जलवायु वाले ईलाकों में रहने वाले समूहों की आजीविका को सहयोग और आधार देता है इस कारण इस वर्ग की जरूरतों के अनुसार नीति में बदलाव, व्यवस्था और लचीलेपन को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिये। इस काम में काफी धन और रिसर्च का सहयोग लगेगा अतः पर्याप्त बजट और तकनीकी सहयोग के लिये विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान केन्द्रों और अन्य राज्यों, केद्र एव विश्वस्तरीय संस्थाओं से तालमेल रखा जाना चाहिये और आवश्यकतानुसार उनका सहयोग लिया जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 15</u>

अनेक बार सरकारी योजना का पूरा पूरा लाभ कमजोर वर्ग के हितग्राहियों एवं महिलाओं को नही मिल पाता है। अतः सरकार द्वारा इन वर्गों के हित में विशेष कार्यक्रम संचालित किये जान चाहिये और प्रयास किया जाना चाहिये कि अन्य वर्गों के साथ साथ कमजोर वर्ग के हितग्राहियों एवं महिलाओं को, पशुओं एवं पक्षियों के लालन पालन के माध्यम से स्थायी आर्थिक लाभ सुनिश्चित हों और उनकी आय में बढोत्तरी हो सके।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 16</u>

मध्यप्रदेश के अनेक हिस्सों में हर साल सूखा पडता है। सूखे के साल में फसल नष्ट होने या कम पैदावार होने के कारण किसानों की माली हालत अच्छी नही रह पाती। ऐसी हालत में, इन विकासखंडों में आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये अनेक काम हाथ में लिये जाते हैं। इन सूखाप्रवण एवं पिछ्डे इलाकों में गरीबो और उपेक्षित वर्ग के हितग्राहियों को पशुओं और पक्षियों से जुडी योजनाओं / गतिविधियों से जोडकर अतिरिक्त लाभ दिलाना हितकर होगा। इस व्यवस्था को कायम करने से कम फसल होने के कारण होने वाली हानि के अन्तर को कम किया जा सकेगा।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 17</u>

सरकार का प्रयास होना चाहिये कि वह समाज के हर वर्ग के लिये उचित मूल्य पर दुघ, अंडो तथा मांस की निरन्तर आपूर्ति के लिये लगातार काम करे और प्रयास करे कि दुघ, अंडो तथा मांस की आपूर्ति द्वारा समाज के हर वर्ग के लिये पौष्टिक आहार उपलब्ध हो।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 18</u>

यह तथ्य सरकार की जानकारी में अनेक बार गरीब पशुपालक आर्थिक कठिनाईयों या अन्य स्थानीय कारणों से अदुधारू जानवरों को स्लाटर हाउस को बेच देता है। कई बार ये अदुधारू जानवर प्रजनन योग्य होते हैं और उनकी लम्बी उत्पादक आयु शेष रहती है। सरकार द्वारा पशुओं की इस उत्पादक आयु का पूरा पूरा लाभ (उनके उत्पाद एवं बछ्डों तथा बछ्डों से मिलने वाले लाभ) प्राप्त करने के लिये इस वर्ग के प्रजनन योग्य पशुओं को स्लाटर हाऊस में बिकने से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिये। सरकार इस दिशा में काम करना चाहिये और पशु पालक तथा जानवर के हित की रक्षा पर ध्यान देगी।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 19</u>

इस सेक्टर की बढोत्तरी और मार्ग की कठिनाईयों को समझने की जरूरत से सरकार अवगत है इसलिये सरकार इस सेक्टर की उक्त जरूरतों के अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान और प्रचार प्रसार के लिये व्यवस्था करेगी और इस व्यवस्था के सतत परिमार्जन और ज्ञान तथा अनुभवों के आदान प्रदान की दिशा में सतत कार्य करेगी और उन्हे आवश्यकतानुरुप बढावा देगी।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 20</u>

सरकार द्वारा गोबर, मैंगनी, लीद, गौ मूत्र इत्यादि के वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग बढाने की संभावना पर अनुसन्धान करना चाहिये, अधोसंरचना की स्थापना करनी चाहिये और इसे ग्रामीण इलाकों में आय के अतिरिक्त जरिये के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 21

गोबर खाद और उसकी उपादेयता से सरकार परिचित है। सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। आने वाले सालों में समयबद्ध कार्यकमों की मदद से आर्गेनिक खाद के उत्पादन को बढावा देना चाहिये और सतत अनुसन्धान कर इसे ग्रामीण इलाकों में आय के अतिरिक्त जरिये के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिये। सरकार आर्गेनिक खाद के उत्पादन और उसके उपयोग को बढाने और रासायनिक खाद की खपत को कम करने के लिये जन जागरण का काम करना चाहिये। इस अभियान में एन. जी. ओ. सेक्टर एवं सामुदायिक संगठनों एवं स्थानीय निकायों की पूरी–पूरी मदद ली जानी चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 22</u>

गो वंश की समस्याओं के निदान में गौशाला / गो सदन की पारम्परिक व्यवस्था की क्षमता और उपयोगिता इसकी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिये। इस प्रयास में समाज और एन. जी. ओ. सेक्टर एवं सामुदायिक संगठनों की मदद लेनी चाहिये। गौशालाओं / गो सदनों को सरकार संरक्षण प्रदान करना चाहिये और समय समय पर इन प्रयासों के परिमार्जन के लिये कदम उठाने चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 23</u>

सरकार नवाचार को बढावा देगी और उसके लिये समय समय पर पशु और पक्षी कल्याण के लिये उपयुक्त कदम उठावेगी। नवाचार कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिये रणनीति तय करेगी।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 24</u>

जानवरों के चारे की उपलब्धता घटती जा रही है। सूखे के साल में यह उपलब्धता और कम हो जाती है। इन सभी बिन्दुओं पर विचार कर पशुओं के भोजन की आपात कालीन व्यवस्था के लिये कदम उठाये जाने चाहिये और पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिये। इस व्यवस्था के अर्न्तगत चारे की कमी वाले इलाकों की पहचान की जाना चाहिये और चारा उगाने वाले प्रयासों को तरजीह दी जाना चाहिये। हार्वेस्टर से फसल कटाई और खेती में अतिकीटनाशक के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिये। इस काम में समाज, सामुदायिक संगठनों, महिला मंडलों और स्थानीय निकायों की भी मदद ली जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 25</u>

पाडों की उपयोगिता के लगातार कम होने के कारण अब इनके लालन पालन को कई मामलों में आर्थिक बोझ माना जाने लगा है। इस बदलाव के कारण लोग पाडों को कसाई घरों को बेच देते हैं। सरकार को इस समस्या का अध्ययन कर उनकी आसामयिक मृत्यु पर रोक लगाने के लिये सतत प्रयास करना चाहिये और उनके वैकल्पिक उपयोग पर दिशाबोध विकसित कर आगे की रणनीति तय की जाना चाहिये।

<u>नीतिगत वक्तव्य – 26</u>

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की मदद से जलग्रहण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य देशी और विदेशी मदद से जलग्रहण विकास या समान काम किये जाते है। इसके अलावा कई मिशन या एन.जी.ओ., नाबार्ड एव रोजगार मूलक कार्यक्रम आदि आजीविका को आधार देने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पशुधन विकास को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिये। इस काम में समाज, सामुदायिक संगठनों, महिला मंडलों और स्थानीय निकायों की भी मदद ली जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 27

सरकार द्वारा पशु कूरता निवारण अधिनियम का प्रदेश में पालन कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस नियम के पालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिये और समय समय पर उसकी समीक्षा कर उसे और अधिक कारगर बनाया जाना चाहिये। ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाले कष्टदायक तकनीकों, हानिकारक दवाओं और अमानवीय तरीकों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 28

विभिन्न विभागों की पशु धन विकास से सम्बन्धित या प्रभावित करने वाली नीतियों एवं योजनाओं की विवेचना पूर्व में दी गई है। इस विवेचना से जाहिर है कि विभिन्न विभागों की नीतियों से समन्वय कराना होगा और सम्बन्धित प्रावधानों को लागू कराना होगा। सरकार इस मामले में हर संभव प्रयास कीये जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 29

पशुधन विकास से जुडे प्रावधानों का पालन कराने के साथ साथ पशु और पक्षियों के लिये स्व स्थाने पानी का प्रावधान करना बहुत बडी आवश्यकता है। सरकार को इस समस्या के निदान के लिये काम करना चाहिये और विभिन्न योजनाओं की मदद से पानी का इन्तजाम करना चाहिये। यह काम समाज, सामुदायिक संगठनों, महिला मंडलों और स्थानीय निकायों और सरकार के सहयोग से किया जाना चाहिये ।

नीतिगत वक्तव्य – 30

यथासंभव स्टालफीडिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 31

आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में जैव संशोधित (जीएम) बीजों के उपयोग के कारण पैदा हुई फसलों का उपयोग करने के कारण जानवरों/ पशुओं पर पड़े प्रभावों का अध्ययन हुआ है। जिनसे पता चलता है कि यह फसलें/ उत्पादन जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित होंगी। आंध्रप्रदेश में बीटी कपास के पौधे खाने से 1600 भेड़ों की मृत्यु हो गई अतः विदेशी हानिकारक कृषि तकनीकों, पशुओं के लिए हानिकारक फसलों तथा हानिकारक बीजों का प्रदर्शन या खेती को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 32

पोलीथीन के अत्यधिक उपयोग के कारण पुशओं की अकाल मौत हो रही है एवं कृषि क्षेत्र में बढ़ते हुये रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग का प्रभाव पशुधन की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर नकारात्मक रूप से नजर आ रहा है। अतः पशुधन की सुरक्षा और संरक्षण के दायित्व के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक ऊर्वरकों के उपयोग एवं पोलीथीन थैली के उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 33

मिल्क रूट पर ठेकेदारी प्रथा बंद की जावे एवं सहकारिता (अमूल पैटर्न) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 34

जिला एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए जावें एवं स्कूली शिक्षा में पशुधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ी जावे।

नीतिगत वक्तव्य – 35

दुध को इष्टतम समय तक उपयोगी बनाये रखने के लिए चिलिंग सेंटर बनाये जाना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 36

पशुपालन के लिए स्थानीय जरूरतों तथा सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार पशुओं का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए महा कोशल इलाके में सुअर पालन के लिए सामाजिक बाधा नाहीं है, लेकिन अन्य इलाकों में इसके लिए सामाजिक बाधा है। इसी प्रकार चम्बल क्षेत्र में सरसों की फसल होने के कारण मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छे अवसर है। अतः इस इलाके में मुधमक्खी पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

नीतिगत वक्तव्य – 37

व्यापक अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि हमारे यहां विदेशी नस्लों के पशुधन विकास के प्रयोग सफल नहीं हुये हैं। अतः सरकार को नीतिगत स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पशुधन की विदेशी नस्लों के बजाये देशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण को बढ़ावा दिया जायेगा।

नीतिगत वक्तव्य – 38

मृत पशुओं के निपटान के लिये समुचित और सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवस्था की जाना चाहिये। यहां संदर्भ भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिये समाज के किसी खास वर्ग की ही जिम्मेदारी नहीं होना चाहिये।

नीतिगत वक्तव्य – 39

आर्थिक विकास के लिये पशुधन के उपयोग के संदर्भ में जरूरी है कि संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। खुले बाजार और उदारीकरण की नीतियों के दौर में पशुपालन समुदायों और पशुधन का उपयोग करने वाले समुदायों को प्राथमिकता के साथ संरक्षित किया जाना चाहिये।
रणनीति

मध्यप्रदेश सरकार उपरोक्त नीति के मूल तत्वों को अंगीकार कर समाज तथा पशु पक्षी व्यवसाय से जुड़े सभी वर्गों के लोगों की उन्नति के लिये समन्वित रणनीति विकसित करेगी। इस रणनीति के दो पहलू होंगे। पहले पहलू के अर्न्तगत पशु पक्षी धन विकास लिये विभिन्न विभागों की नीतियों के सम्बन्धित नीतिगत प्रावधानों और आदेशों का उपयोग इस सेक्टर को आगे ले जाने में किया जावेगा। दूसरे पहलू के अधीन नोडल विभाग समाज तथा पशु पक्षी व्यवसाय से जुडे सभी वर्गों के लोगों की उन्नति के लिये रणनीति तय कर कार्यक्रम बनावेगा और उन्हे संचालित करेगा। पशुधन विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बीच सकारात्मक टिकाऊ सम्बन्धों की सीपना पर रणनीति बनाई जावी और काम कया जावेगा।

प्रस्तावित नीति के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न रणनीति अपनाई जावेगी –

- **पशु पक्षी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम –**
  पशु–पक्षी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिये प्रदेश में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चलित इकाईयाँ एंब्युलेरटरी क्लीनिक, प्शु रोग अनुसन्धान प्रयोगशालायें तथा जैविक उत्पादन संस्थायें कार्यरत है। इनकी सेवा को लगातार बेहतर बनाने के लिये कार्यक्रम एव संस्थागत व्यवस्था में सुधार करेगी और समय समय पर उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा कर मांग आधारित सक्षम एव संवेदनशील व्यवस्था कायम करेगी तथा राष्ट्रीय कृषि परिषद के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर चिकित्सालय कायम करेगी।

- **सक्रामक रोगों की रोकथाम –**
  पशु पक्षियों में संक्रामक रोगों की संभावना होती है जिसके कारण अनेक बार इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बहुत नुकसान उठाना पडता है इसलिये सरकार द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये कार्यक्रम संचालित करेगी और समय–समय पर व्यवस्था का पुनरीक्षण करेगी एवं समय सारणी (अनुलग्न 2) के अनुसार काम करेगी।

- **पशु पक्षी संवर्द्धन एवं प्रजनन कार्यक्रम –**
  प्रदेश में पशुओं एवं पक्षियों के सम्बर्धन एवं प्रजनन हेतु गहन पशु विकास परियोजना, नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान / प्रशिक्षण केन्द्र, मुख्य ग्राम योजनायें, कुक्कुट परियोजनायें तथा प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय हिमीकृत वीर्य संस्थान / गर्भाधान इकाईयाँ एवं गर्भाधान के लिये कार्यरत प्रायवेट प्रेक्टिशनर्स कार्यरत है। सरकार समय–समय पर उपलब्ध उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा कर मांग आधारित व्यवस्था कायम करेगी, नये प्रोग्राम चलावेगी और लक्ष्य प्राप्त करेगी।

- **पशुधन उत्पादन को बढावा तथा विपणन –**
  प्रदेश में पशुओं तथा पक्षियों के उत्पादन को बढावा देने तथा विपणन के लिये व्यवस्था है। समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये दुग्ध महासंघ तथा कुक्कुट विकास निगम के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं एवं योजनाओं की समय समय पर समीक्षा की जाकर पशुओं तथा पक्षियों के उत्पादन को बढावा देने तथा विपणन व्यवस्था सुदृढ़ की जावेगी।

- **कमजोर वर्ग के हितग्राहियों एवं महिलाओं को स्थायी आर्थिक लाभ –**
  कमजोर वर्ग के हितग्राहियों एवं महिलाओं को इस (पशु/पक्षी पालन) काम से जोड़कर उनके लिये आय का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने पर पूर्व से अनेक कार्यक्रम संचालित है। इन गतिविधियों को स्थायी आधार प्रदान करने के लिये सरकार सतत प्रयास करेगी और कठिनाईयों का निराकरण करने के लिये कदम उठावेगी। सूखे के साल में विशेषकर गरीबो, छोटे किसानों और उपेक्षित वर्ग के हितग्राहियों को पशुओं और पक्षियों से जुड़ी योजनाओं / गतिविधियों से जोड़कर अतिरिक्त लाभ दिलाने पर पूर्व काम चल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिग के दुष्परिणामों के संदर्भ में इन कामों पर और अधिक घ्यान दिया जावेगा ताकि फसल कम होने के कारण होने वाली हानि के अन्तर को कम किया जा सके या पाटा जा सके। पशुधन विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बीच सकारात्मक टिकाऊ सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए कदम उठाये जावेंगे।

- **उचित मूल्य पर दुघ, अंडो तथा मांस उपलब्ध कराना –**
  दुघ, अंडो तथा मांस की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। इनकी मांग आधारित उपलब्धता को बढ़ने के लिये सतत प्रयास किये जाना चाहिये। सरकार को समय समय पर समीक्षा कर मांग आधारित व्यवस्था कायम की जावेगी।

- **अस्थायी रूप से अदुधारू और प्रजनन योग्य पशुओं का सम्वर्धन एवं प्रजनन की व्यवस्था –**
  अस्थायी रूप से अदुधारू और प्रजनन योग्य पशुओं का सम्वर्धन एवं प्रजनन की व्यवस्था की जावेगी और कार्यक्रम संचालित किये जावेंगे।

- **देशी प्रजातियों के जानवरों उन्नयन की व्यवस्था का युक्तियुक्तिकरण –**
  देशी प्रजातियों के जानवरों उन्नयन की व्यवस्था का युक्तियुक्तिकरण करने के लिये परिमार्जित रणनीति पर काम कया जावेगा। नये दुधारू एवं मालवाहक/ खेती में काम आने जानवरों के मामले में प्रदेश की आत्मनिर्भरता हासल करने के लिये कदम उठाये जावेंगे।

- **प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को बदलती जरूरतों और चुनौतियों के लिये प्रयास –**
  प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को बदलती जरूरतों और चुनौतियों के लिये सक्षम बनाने की रणनीति पर काम किया जावेगा।

- **हितग्राहियों को जानवरों के बारे में आवश्यक व्यावहारिक तथा तकनीकी जानकारी –**
  हितग्राहियों को जानवरों के बारे में आवश्यक व्यावहारिक तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की रणनीति में लगातार सुधार किया जावेगा।

- **पशु चारे (सूखा/भुसा और हरा चारा) की कमी को समाप्त करने के प्रयास –**
  पशु चारे (सूखा/भुसा और हरा चारा) की कमी को समाप्त करने, चारे की पौष्टिकता बढाने, हे और सायलेज के निर्माण के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की रणनीति पर काम किया जावेगा।

- **संकर प्रजातियों के पशुओं की दूध देने की मूल क्षमता का स्थायित्व –**
  संकर प्रजातियों के पशुओं की दूध देने की मूल क्षमता का स्थायित्व व्यावहारिक एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और वैज्ञानिक इन पुट के लिये एन. जी. ओ. सेक्टर की मदद ली जावेगी।

- **अन्य –**
  अन्य जो समय समय पर आवश्यक हो।

ऊपर वर्णित नीतिगत वक्तव्यों के आधार पर प्रयास करके एवं प्रस्तावित प्रावधानों को लागू कराकर पशु एवं पक्षी पालन के क्षेत्र में व्यापक अवसर जुटाये जा सकते हैं जिससे न केवल समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक विकास किया जा सकता है बल्कि इससे राज्य की सम्पदा को भी विस्तार दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं यह कोशिशें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लायेंगी। इससे न केवल लघु, सीमान्त किसानों और भूमिहीन परिवारों की सार्थक मदद की जा सकती है बल्कि आर्थिक रूप से असुरक्षित होते गरीबों–वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के नगरों की ओर होने वाले बढ़ते पलायन को भी किसी हद तक कम किया जा सकेगा।

अनुलग्न – 1

मध्यप्रदेश में पशुधन की स्थिति

1 गाय, बैल और उनकी नस्लें (मूल एवं संकरित)

सामान्यतः निम्न तीन प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं–
अ. केवल दूध देने वाली – साहीवाल, लाल सिन्धी, गिर और संकरित दुधारू गाय यथा जरसी, ब्राउन स्विस, होल्सस्टीन और रेड डेन। इन सभी संकरित नस्लों में जरसी को उसकी वातावरण के साथ अधिकतम अनुकूलता की क्षमता, बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोध क्षमता और दूध में स्निग्ध पदार्थों की अधिकता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

ब. दूध और खेती – इस वर्ग में हरयाणवी एवं कॉकरेल नस्ल सम्मिलित है।

स. केवल खेती के काम के लिये उपयुक्त–मालवी, देवनी केन कथा और निमाड़ी नस्ल सम्मिलित है।

2. भैस, पाडा और उनकी प्रजातियाँ (मूल एवं उन्नत)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं–

अ. अधिक दूध देने वाली – मुर्रा और कोसी। ये नस्लें देशी हैं।

ब. कम दूध देने वाली – सूरती, नागपुरी तथा उन्नत श्रेणी की नस्लें सम्मिलित है।
छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में पाड़ें का उपयोग यदा कदा खेती के लिये किया जाता है।

3. बकरी बकरा और उनकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं।
अ. दूध देने वाली– जमनापारी, कश्मीरी, उस्मानाबादी, संगमनेरी और डेक्कन। ये सभी नस्लें देशी हैं। जमनापारी को उसकी मांस और दूध देने की बेहतर क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

4. भेड और उनकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं।
अ. ऊन देने वाली – मंड्या, संकरित मेरिनो, बन्डूर और बोन पाला । संकरित मेरिनो को अधिक ऊन और मांस देने की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

5. सूकर और उनकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं।
अ. यार्कशायर, हेम्पशायर, सेडलबैक, स्थानीय एवं संकरित
संकरित नस्लों को मांस देने की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

5. मुर्गी और उसकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं।

अ. देशी
ब. कडकनाथ
स व्हाईट लेग हार्न
द. रेड आयरलेन्ड रोड
इ. ब्लेक मिनोरका

व्हाईट लेग हार्न नस्ल की मुर्गियों को अंडा देने की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

6. गधा और उसकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं–

अ. देशी
ब. बाराबंकी

बाराबंकी नस्ल के गधे को वजन ढोने की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है।

7. घोडा, टट्टू और खच्चर तथा उनकी प्रजातियाँ (मूल एवं संकरित)

7.1 घोडा
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं–
अ. देशी जैसे काठियावाडी, ग्रे सिन्धी और मारवाड़ी
ब. अरबी

7.2. खच्चर
खच्चर की सामान्यतः देशी नस्लें जैसे स्पाईट, भूटिया और मणिपुरी पाई जाती हैं।

7.3. टट्टू और उसकी प्रजातियाँ
टट्टू की सामान्यतः स्पाइट, भूटिया और मणिपुरी नस्लें पाई जाती हैं।

8. ऊंट और उसकी प्रजातियाँ
ऊंट की देशी नस्लें ही सबसे अधिक उपलब्ध हैं।

9. कुत्ते और उनकी नस्लें
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं–

- देशी (सामान्य और शिकारी)
- विदेशी नस्लें (पामेरियन, स्पेनियल, अमेरिकन, डोव्हरमेन, बुलडाग, अलशेसियन, ग्रे हाउन्ड) पाई जाती हैं।

10. खरगोश या शशक
सामान्यतः निम्न प्रकार की नस्ले पाई जाती हैं–

- देशी (अंगोरा) और
- विदेशी नस्लें (न्यूजीलेन्ड व्हाईट, सोवियत चिंचिला और ब्लेक ब्राउन, ग्रे जाइन्ट तथा डच) पाई जाती हैं।

इन सभी प्रजातियों का अधिकतम विकास ठंडे इलाकों में होता है।

अनुलग्न – 2

मध्यप्रदेश में लागू योजनायें

वर्तमान में मध्यप्रदेश में निम्न लागू योजनायें लागू हैं–

2.1 विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम (संकर जर्सी मादा वत्स पालन कार्यक्रम) –

अनुदान आधारित यह योजना सभी वर्ग के लघु/सीमान्त कृषक /भूमिहीन कृषि मजदूर हितग्राहियों के लिये है। इस योजना के हितग्राहियों के पास अपनी मादा जर्सी संकर बछिया होना चाहिये। इस योजना का उद्देश्य हितग्राहयों की आर्थिक दशा में सुधार, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी, नस्ल सुधार और संकर वत्स पालन में रूचि पैदा करना है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.2 विनिमय के आधार पर बकरों का प्रदाय –

यह योजना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य हितग्राहियों की माली हालत में सुधार, देशी बकरियों की नस्ल में सुधार और मांस तथा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत देशी बकरे के बदले में उन्नत नस्ल का जमनापारी बकरा प्रदाय किया जाता हैं। यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले जिलों में संचालित है।

2.3 विनिमय के आधार पर सूकरों का प्रदाय

यह योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य हितग्राहियों की माली हालत में सुधार, देशी / स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार और मांस के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत एक नर सूकर के बदले में उन्नत नस्ल का सूकर प्रदाय किया जाता हैं। यह योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले जिलों में संचालित है।

2.4 विनिमय के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदाय

यह योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य हितग्राहियों की माली हालत में सुधार, देशी / स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार और मांस के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के हितग्राही को एक नर सूकर और दो मादा (कुल तीन पशु) के बदले में उन्नत नस्ल का एक सूकर और दो मादा सूकर, विनिमय के आधार पर प्रदाय किया जाता हैं। यह योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले जिलों में संचालित है।

2.5 मुंहखुरी टीकाकरण हेतु टीकाद्रव के लिये अनुदान

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य भार वाहक पशुओं और दूध उत्पादन क्षमता वाले उत्पादक पशुओं को मुंहखुरी रो से बचाने के लिये प्रतिबन्धात्मक टीकाकरण के लिये टीकाद्रव उपलब्ध कराना है। टीकाद्रव की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.6 गो सेवक योजना

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचल में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दसवीं पास 18 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर स्वयं के व्यय पर 6 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। गो सेवक का चयन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत के स्तर पर एक गो सेवक का प्रावधान है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजार योजना के अधीन प्रावधान अनुसार वित्तीय सहायता देय है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.7 ग्रामीण स्तर पर समुन्नत पशु प्रजनन

इस योजना के अधीन अनुदान पर प्रजनन योग्य सांड उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना का उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचल में जहाँ कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नही है, ऐसे अंचलों में नस्ल सुधार के लिये उन्नत नस्ल का सांड उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था के कारण सुदूर अंचल में प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रशिक्षित गो सेवक को प्राथमिकता के आधार पर या प्रगतिशील पशु पालक को एक सांड उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 85 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.8 उत्पादक पशुओं के लिये चारा विकास योजना

यह शत प्रतिशत अनुदान आधारित योजना है। इस योजना के अर्न्तगत एक चौथाई एकड के भूखण्डों पर चारा प्रदर्शन के लिये अनुदान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन पशु पालकों को, जिनके पास पर्याप्त पशु धन और सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो और जो अपनी जमीन पर चारा उगाने के लिये सहमत हो, को हरे चारे के उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करना है। इस योजना के अधीन चारा बीज, रासायनिक खाद और कल्चर के लिये ही अनुदान दिया जाता है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.9 पन्द्रह दिवसीय 110 चूजों की बटेर पालन योजना

अनुदान आधारित यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। इस योजना के अर्न्तगत पन्द्रह दिन के 110 चूजों की इकाई का अनुदान पर वितरण किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस उपलब्ध कराना, बटेर पालन में रूचि पैदा करना और मांस के नये विकल्प को तैयार करना है। इस योजना के अधीन सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित है।

2.10 मुक्त परिसर प्रणाली में कुक्कुट इकाई का वितरण

यह योजना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले जिलों में 75 प्रतिशत अनुदान पर लागू है। इस योजना के अर्न्तगत 15 दिन के 55 रंगीन चूजों की इकाई दी जाती है। पन्द्रह चूजों के अलावा आहार, दवा और परिवहन के लिये अनुदान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मांस उत्पादन में बढ़ोत्तरी, माली हालत में सुधार और नस्ल सुधार है।

2.11 काकरेल योजना

यह योजना सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्व–वित्त पोषी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत हितग्राही से राशि प्राप्त कर, समीप की हेचरी से एक दिन के टीका लगे चूजे उपलब्ध कराये जाते हैं। ये चूजे मुक्त वातावरण में चार माह तक पाले जाते हैं। चार माह बाद इन्हे बेचकर हितग्राही लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना की इकाई लागत 450 रुपये है।

2.12 पशु प्रदर्शनी

सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा पशुपालकों को पुरस्कृत करने के लिये पूरे प्रदेश में पशु प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। इन प्रदर्शनियों में इच्छुक हितग्राही भाग ले सकते हैं। इन प्रदर्शनियों का सारा खर्च सरकार उठाती है। मांग के आधार पर इनका आयोजन किया जाता है।

2.13 गहन पशु विकास परियोजना / मुख्य ग्राम खंडों की निरन्तरता

यह योजना उन्नत प्रजनन सुविधाओं के विस्तार के लिये भोपाल, इन्दौर, रीवा, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, झाबुआ, नरसिहपुर, शहडोल, बालाघाट, सीधी, गुना, छिन्दवाडा, दमोह, छतरपुर, मन्दसौर और भिंड में चलाई जा रही काम है। यह योजना पूरी तरह सेवा योजना है जिसे संस्थागत रूप से संचालित किया जाता है। इस योजना के हितग्राही परियोजना क्षेत्र के जागरूक पशुपालक हैं।

2.14 सूकर पालन योजना

अनुदान आधारित यह योजना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्थित के सुधार के लिये है। यह योजना आदिवासी उपयोजना घटक के अर्न्तगत मध्यप्रदेश राज्य प्शुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा सिवनी, रतलाम, मंडला, उज्जैन, देवास, गुना और शिवपुरी जिलों में संचालित है। इस योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को एक नर तथा 10 मादा सूकर, पुराने सूकर बाडे की मरम्मत के लिये अनुदान और आहार, बीमा, औषधि इत्यादि के लिये रूपये 50,000 प्रदाय किये जाते हैं। योजना का लाभ जिला पंचायत द्वारा निर्धरित प्रक्रियानुसार किया जाता है।

2.15 नन्दी शाला योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गौ वंशीय पशुओं की नस्ल के सुधार के लिये हितग्राही पशुपालक, पंजीकृत गोशाला एवं मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ द्वारा चिन्हित दुग्ध समितियों को अनुदान (80:20) के आधार पर देशी नस्ल के सांड (साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव, मालवी, निमाणी केनकथा इत्यादि) उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना का लाभ मार्च 2009 तक सभी वर्ग के हितग्राही ले सकते हैं।

2.16 सहकारी डेयरी कार्यक्रम

यह योजना ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदा कर शहरी उपभोक्ता को पाश्चुरीकृत दूध और दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराने के लिये संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 41 जिलों के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने के अलावा, उन्हे तकनीकी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति दूध के संग्रह का काम करती हैं और एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की योजना संचालन की जिम्मेदारी है।

2.17 एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

यह योजना मूल रूप से पहाडी और पिछड़े जिलों के लिये है, जिन्हे आपरेशन फलड का लाभ नही मिला है। यह योजना बालाघाट, छिन्दवाडा, झाबुआ, रीवा और सतना जिलों में संचालित है। यह योजना क्षेत्र के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद कर शहरी उपभोक्ता को पाश्चुरीकृत दूध और दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराने के लिये संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के पंजीकृत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है।

2.18 तकनीकी आदान सेवायें

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों को दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिय कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की सेहत की देखभाल और सन्तुलित पशु आहार सम्बन्धित तकनीकी सेवा प्रदान की जाती है।

2.19 एकीकत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना

यह योजना प्रदेश के आदिवासी बहुल 11 जिलों (बैतूल, बडवानी, खरगौन, धार, झाबुआ, खंडवा, छिन्दवाडा, बालाघाट, शहडोल, मंडला और सिवनी) में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों के लिये है। इस योजना में गोकुल ग्राम के शत प्रतिशत तथा एवं अन्य सम्मिलित ग्रामों के 20 चयनित बीपीएल परिवारों को जोड़ने का प्रावधान है। चयनित हितग्राही परिवार को दुग्ध समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

2.20. स्वच्छ दुग्ध उत्पादन

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना का उद्देश्य दूध दोहने की प्रकिया और दूध की गुणवत्ता में सुधार है। इस योजना का कार्य क्षेत्र बैतूल (मुलताई), धार, मन्दसौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना तथा बालाघाट है।

2.20 महिला डेयरी परियोजना

यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टेप योजना के अर्न्तगत सीहोर, देवास, शाजापुर, मुरैना एवं सिवनी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की भागीदारी और आमदनी बढ़ाना है। हितग्राही को महिला सहकारी दुग्ध समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में गोपालन एंव पशु संवर्द्धन बोर्ड तथा राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से पशु उत्प्रेरण योजना भी चलाई जा रही है। प्रदेश में, पशु प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा पशुपालकों को पुरस्कृत करने की योजना भी है।

समीक्षा –
मध्यप्रदेश में पशुपालन की योजनाओं का फोकस हितग्राही के आर्थिक विकास पर केन्द्रित है। राज्य और केन्द्र की योजनाओं की मूल भावना हितग्राही का आर्थिक विकास है। इस अनुक्रम में सारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य–

- नस्ल सुधार, अदला–बदली और
- उत्पादन वृद्धि है।

माडल जुदा–जुदा हैं जैसे

1. एक व्यक्ति वाला मॉडल, यथा– लघु सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति), शिक्षित बेरोजगार को अनुदान देकर सेवा खुद या समाज के लिये
2. संस्था का मॉडल यथा गो सदन

बीमारियाँ और उपचार कार्यक्रम

अ. गायों और भैंसों में मुख्यतः निम्न बीमारियाँ पाई जाती हैं –

1. मुँहपका एवं खुरपका
2. पशु मातामहामारी
3. ब्लैक क्वार्टर
4. गलघौटू
5. एन्थ्रैक्स

उपरोक्त बीमारयों में सरल कमांक 1 को छोड़कर बाकी बीमारियों के उपचार के लिये सरकार द्वारा संभावित क्षेत्रों में निशुल्क टीकाकरण कार्यकम चलाया जाता है।
पशु पालकों को मुँहपका एवं खुरपका के इलाज के लिये साल में दो बार आधी कीमत पर वेक्सीन उपलब्ध कराया जाता है।

ब. मुर्गियों में मुख्यतः निम्न बीमारियाँ पाई जाती हैं –

1. रानीखेत
2. माता (फाउल पाक्स)
3. बर्ड फ्लू
4. काक्सी

स. पशु चिकित्सा के लिये तीन स्तरीय संस्थागत व्यवस्था है।

पशुओं से सम्बन्धित बीमारियों से सुरक्षा के लिये मासिक केलेन्डर निम्न अनुसार है–

सरल कमांक	माह	पशु चिकित्सा से सम्बन्धित गतिविधि
1	जनवरी	अवांछित सांडों का बधियाकरण, माता महामारी, रानीखेत एवं पक्षी माता महामारी से बचाव के लिये टीकाकरण
2	फरवरी	तदैव
3	मार्च	तदैव

4	अप्रेल	तदैव
5	मई	ब्लैक क्वार्टर, गलघोंटू और एन्थ्रैक्स संभावित क्षेत्रों में टीकाकरण
6	जून	तदैव
7	जुलाई	महामारी फैले इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण
8	अगस्त	तदैव
9	सितम्बर	तदैव
10	अक्टूबर	अवांछित सांडों का वधियाकरण
11	नवम्बर	अवांछित सांडों का बधियाकरण, माता महामारी, रानीखेत एवं पक्षी माता महामारी से बचाव के लिये टीकाकरण
12	दिसम्बर	अवांछित सांडों का वधियाकरण, माता महामारी, रानीखेत एवं पक्षी माता महामारी से बचाव के लिये टीकाकरण

विभागीय ढ़ांचा

पशु धन से जुड़ी प्रशासकीय, अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिये व्यवस्था है।
राज्य स्तर पर सचिव एव विभाग प्रमुख होते हैं। विभाग प्रमुख के अधीन मैदानी अमला होता है। मैदानी अमला होता है।

अ. पशु चिकित्सा के लिये व्यवस्था

राज्य स्तर पर पशु चिकित्सा सेवा संचालनालय है। इसके अधीन संभाग एवं जिलों में संयुक्त संचालक एवं उप संचालक पदस्थ हैं। यह अमला कार्यक्रम संचालन की प्रशासकीय इकाई के रूप में काम करता है।
पशु धन की चिकित्सा की जिम्मेदारी सहायक संचालक एवं मैदानी अमले की है। यह अमला जिलों, तहसीलों और विकास खंडों में स्थापित केन्द्रों के माध्यम से पशुओं को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा छोटे कस्बों में पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक पदस्थ होते हैं जो अपने क्षेत्राधिकार में पशुओं को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं।
पशु चिकित्सा सेवा संचालनालय में काम करने वाले तकनीकी अमले की सेवा शर्तें, पदोन्नति अवसर सुविधायें काम के लिये उपयुक्त वातावरण और सामाजिक मान्यता दिलाने की आवश्यकता है। पशु चिकित्सकों की सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं को भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि परिषद के अनुदेशों के अनुरूप रखना होगा।

ब. पशु चिकित्सा अनुसन्धान के लिये व्यवस्था
पशु चिकित्सा अनुसन्धान के लिये प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है।

1. केन्द्र सरकार की हाई सीक्यूरिटी एनीमल डिसीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी है। यह लेबोरेटरी संवहनीय बीमारियों से जुड़े अनुसन्धान और अन्य जटिल / संवेदनशील कार्य करती है।
2. राज्य सरकार का सीरम तथा वेक्सीन उत्पादन संस्थान, महु, मप्र में है। इस संस्थान द्वारा जिलों को टीकाकरण के लिये सीरम तथा वेक्सीन उपलब्ध कराया जाता है।
3. राज्य सरकार द्वारा संभाग / जिला स्तर पर बीमारियों के अन्वेषण के लिये प्रयोशालायें स्थापित है। इन प्रयोशालाओं द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली बीमारियों से सम्बन्धित अन्वेषण का काम किया जाता है।

स. पशु चिकित्सा के लिये शैक्षणिक व्यवस्था

मध्यप्रदेश में जबलपुर और महू में दो पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ये महाविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त इन महाविद्यालयों में अनुसन्धान की भी व्यवस्था है।